प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

प्रसून

-5412
372
BIH-P

बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

एक समग्र दृष्टि

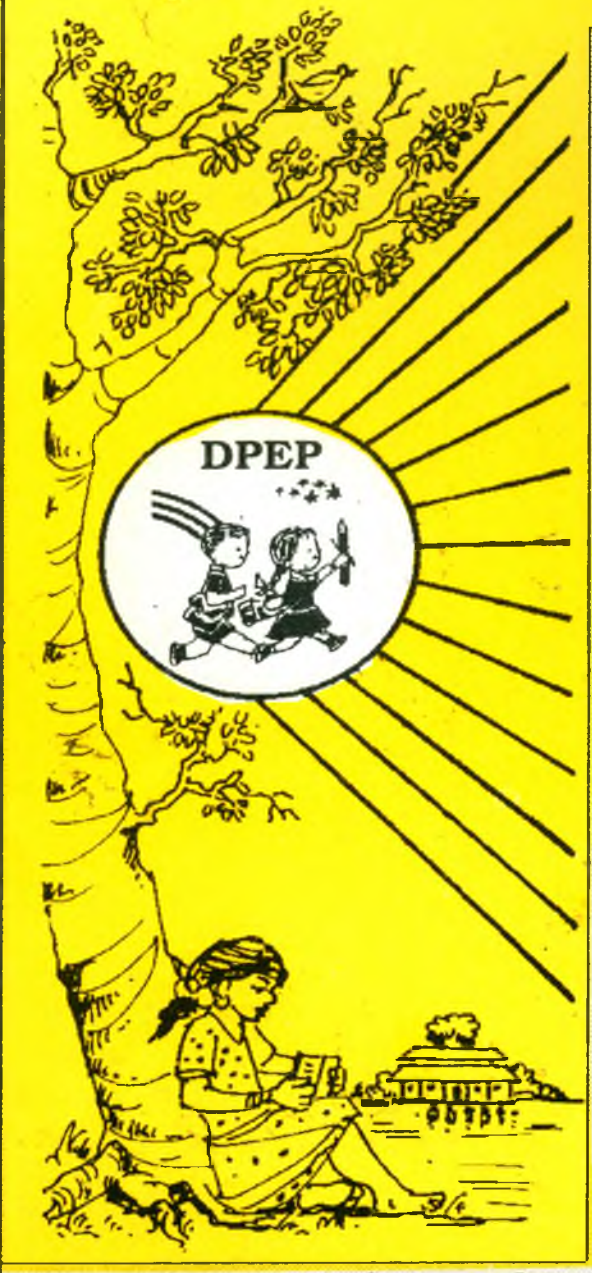

- ★ सामुदायिक सहभागिता एवं स्वामित्व
- ★ महिलाओं, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/ जनजातियों और विकलांगों के लिए शैक्षणिक अवसरों की समानता
- ★ वैकल्पिक शिक्षा
- ★ दूरवर्ती पढ़ाई के द्वारा प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
- ★ शिक्षा-शास्त्रीय आयामों का विस्तार
- ★ असैनिक कार्य
- ★ संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण
- ★ सेवाओं का संकेन्द्रीकरण (Convergence)
- ★ प्रभावी देख-रेख एवं अनुश्रवण
- ★ गहन शोध एवं मूल्यांकन
- ★ ठोस समीक्षा प्रणाली
- ★ प्रबंधन सूचना प्रणाली
- ★ उत्तरदायी एवं लचीली योजना प्रबंधन प्रणाली

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य जिला विशेष (के संदर्भ में) योजना-सूत्रण और बहुआयामी लक्ष्य निर्धारण के द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को लागू करना है।

FOR REFERENCE ONL

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

(संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण)

NIEPA DC
D09893

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर
पटना - 800 023

प्रकाशक : **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद**
बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर
पटना-800 023
दूरभाष : 280699, 285793
फैक्स : 281005

© **बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना**

प्रकाशन वर्ष : **(संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) मई 1998**

प्रकाशित प्रतियाँ : **2,500**

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9893
Date 27-7-98

आमुख : रवि शंकर

मुद्रक :
पटना ऑफसेट प्रेस
धरहरा कोठी के पास
नया टोला, पटना–4
दूरभाष : 658873

अपनी बात

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की संप्राप्ति को रणनीति के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना ने माइक्रो प्लानिंग को अभिन्न अंग के रूप में आंका है। हम लोग इसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का नाम देते रहे हैं। इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का एक मॉड्यूल 'प्रसून' के नाम से बिहार शिक्षा परियोजना ने तैयार किया था तथा उसके आलोक में हमने परियोजना के सात पुराने जिलों के गाँवों में इस रणनीति को आजमाया। अपने अनुभवों से हमने अब यह सीखा/जाना है कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन महज ग्राम स्तर पर आँकड़ों के संग्रहण अथवा यांत्रिक ढंग से उन आँकड़ों के आधार पर ग्राम स्तरीय योजना निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह 'कुछ और' है।

इसी क्रम में, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की भूमिका एवं प्रक्रिया के अपने अनुभवों के आधार पर इसे पुनर्परिभाषित करने की जरूरत बिहार शिक्षा परियोजना ने महसूस की। उद्देश्य यह रहा कि हम विकासमान यथार्थ को समझकर आगे की रणनीति को बेहतर बना सकें।

इसी संदर्भ में तीन राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ पटना में आयोजित की गई : पहली सितम्बर 1997 में, दूसरी दिसम्बर 1997 में तथा तीसरी जनवरी 1998 में। इन कार्यशालाओं में जिला एवं राज्य स्तर के बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों के साथ, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के कार्य में लगे प्रशिक्षकों एवं अभिप्रेरकों की अच्छी भागीदारी रही। पहली कार्यशाला से ही चयनित ग्राम शिक्षा समिति के कतिपय अध्यक्षों को भी जोड़ा गया, ताकि इस रणनीति में समुदाय की भूमिका को समझा जा सके। कतिपय शिक्षकों की भी इन कार्यशालाओं में आमंत्रित किया गया।

सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से जब हमने अपने अनुभवों को जाँचा-परखा, प्रसून के वर्तमान मॉड्यूल का पुनरावलोकन किया, तथा 'नीपा' एवं 'लोक जुम्बिश' जैसी संस्थाओं द्वारा उभारी गयी अवधारणाओं/रणनीतियों से सीखने का प्रयास किया, तो बिहार शिक्षा परियोजना की एक स्पष्ट दृष्टि उभरकर सामने आई। बिहार शिक्षा परियोजना की दृष्टि में प्राथमिक शिक्षा के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन U.P.E. के लक्ष्यों की संप्राप्ति की वह प्रक्रिया या तकनीक है, जिसमें निम्न विशिष्टताएँ अन्तर्निहित हैं :—

- 6–11 आयुवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।
- सामूहिक सहभागिता से साझी समझ का निर्माण होता है।
- लोक भागीदारी एवं लोक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन होता है।
- समुदाय को स्वयं के विकास के लिए सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है।
- अभिवंचित वर्गों खासकर अनु. जातियों/जनजातियों, महिलाओं, अन्य कमजोर वर्गों यथा—मजदूरों, किसानों, गरीबों एवं जानकारी विहीन लोगों को अपने विकास का रास्ता स्वयं चुनने का हक मिलता है।
- सर्वव्यापी नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य की संप्राप्ति की दृष्टि से समुदाय की सक्रियता बढ़ जाती है।
- विद्यालय के सामुदायिक संस्थागत चरित्र के बारे में सही समझ विकसित होती है और सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण होता है।

विभिन्न कार्यशालाओं में जो बिन्दु उभरे, उनको केन्द्र में रखकर बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों के एक छोटे समूह ने वर्तमान प्रसून मॉड्यूल को संशोधित एवं परिवर्तित रूप में सामने लाने के लिए काफी गंभीर शैक्षणिक कार्य किया। यह माना गया कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को ग्राम शिक्षा समिति के गठन/पुर्नगठन से जोड़ना न केवल अधिक उपयुक्त होगा अपितु ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय रूप से भागीदार एवं साझीदार बनाना होगा। दूसरे शब्दों में बात यह उभरी कि कोई चयनित Mobilising समूह/परिचालन दल अजनबियों की भाँति सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को यांत्रिक रूप से पूरा करने का कार्य न करें; अपितु वह अभिप्रेरक के रूप में समुदाय को यह प्रक्रिया अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित करें। परिणामतः कार्यशालाओं में तीन शब्द परिभाषित किए गए—उत्प्रेरक, अभिप्रेरक एवं प्रेरक। यह माना गया कि हमलोग सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के संदर्भ में, हम दो तरह के व्यक्ति समूहों का उपयोग कर सकेंगे—अभिप्रेरक एवं प्रेरक। अभिप्रेरक से तात्पर्य— उस समूह से है जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को बारीकियों की पूरी जानकारी के साथ प्रक्रिया को Facilitate कराएगा तथा प्रेरक से तात्पर्य— ग्राम शिक्षा समितियों अथवा गठित होनेवाली ग्राम शिक्षा समितियों के उन सदस्यों से है, जो समुदाय के साथ सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया को गाँव स्तर पर संपादित कराएँगे। यही प्रेरक ग्राम शिक्षा समितियों को ग्राम शिक्षा योजना बनाने, अद्यतन करने, तथा लागू करने में मदद देंगे।

हम उपर्युक्त सभी प्रयासों को प्रसून के संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण के रूप में ही ले रहे हैं, परंतु काफी हद तक इस पुस्तिका में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को उसके सभी अवयवों सहित समझने-समझाने का यथासाध्य प्रयास किया गया है।

इस पुस्तिका में जो कुछ भी उभरकर आया है, उसे बिहार शिक्षा परियोजना अंतिम नहीं मानती; अपितु हमारा विश्वास है कि हम समय-समय पर अपने अनुभवों से सीखते हुए इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

आशा की जाती है कि हमें इस पुस्तिका को व्यवहार में लाते समय न केवल ढेरों अनुभव मिलेंगे; अपितु हमें इस विषय के सुधीजनों की भी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त होंगी।

इस पुस्तिका को तैयार करने में जिन बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की भागीदारी रही है; बिहार शिक्षा परियोजना उनका अभारी है।

आपके सुझावों एवं विचारों की प्रतीक्षा रहेगी।

व्यास जी
राज्य परियोजना निदेशक

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

विषय सूची : **पृष्ठ संख्या**

1. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन और बिहार शिक्षा परियोजना **1-2**

1.1 अवधारणा 1

1.2 प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन 1

1.3 बिहार शिक्षा परियोजना की दृष्टि 2

2. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के उद्देश्य **3**

3. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की इकाई **4**

4. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की रणनीति **5-9**

4.1 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का ग्राम शिक्षा समिति के साथ अन्तर्संबंध 5

4.2 सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समिति का गठन / पुनर्गठन 6

4.3 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन में वित्त की भूमिका : बि. शि. प. का दृष्टिकोण 9

5. क्रियान्वयन की रणनीति **10-51**

5.1 अभिप्रेरकों और प्रेरकों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण **10**

5.1.1 अभिप्रेरकों के कार्य एवं दायित्व 10

5.1.2 अभिप्रेरक और प्रेरक दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण 11

विषय सूची : **पृष्ठ संख्या**

5.2 अभिप्रेरक और प्रेरक दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण **12**

5.2.1. अभिप्रेरक दल के गठन की प्रक्रिया एवं उनका प्रशिक्षण 12

5.2.2. प्रेरक दल के गठन की प्रक्रिया एवं उनका प्रशिक्षण 13

5.3 वातावरण-निर्माण **14**

5.4 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अग्रिम तैयारी **15**

5.5 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की जमीनी प्रक्रिया :– **16**

5.5.1 गाँव को समझना / संबंध स्थापित करना 16

5.5.2 नजरी नक्शा / विद्यालय मानचित्रण एवं परिचर्चा 20

5.5.3 घर-घर सर्वेक्षण 26

5.5.4 शैक्षणिक तस्वीर 28

5.5.5 समय-रेखा 30

5.5.6 उत्तरदायित्व चार्ट / गतिविधि चार्ट 33

5.5.7 मौसमी विश्लेषण 37

5.5.8 विद्यालय से संबंधित सूचनाएँ एकत्र करना 40

5.5.9 आंकड़ों / तथ्यों का समेकन / विश्लेषण तथा समस्याओं की पहचान 41

5.5.10 ग्रामीणों के साथ बैठक एवं परिचर्चा 43

5.5.11 ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण एवं संधारण 45

5.5.12 ग्राम शिक्षा योजना 47

5.6 अनुश्रवण की पद्धति **51**

6. परिशिष्ट **52-58**

1. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन और बिहार शिक्षा परियोजना

1.1 अवधारणा

यदि हम अपने विगत 50 वर्षों के विकास-चक्र को देखें तो पाएँगे कि आमतौर से योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन केन्द्रीय स्तर से किया जाता रहा है। परिणामस्वरूप, समुदाय एवं सरकार के बीच एक गहरी खाई बन गयी है। यही कारण है कि योजना– निर्माताओं में विकेन्द्रित योजना– निर्माण की भावना पिछले कुछ वर्षों में प्रबल हुई है, ताकि समुदाय को सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के साथ सीधे-सीधे जोड़ा जा सके। इस प्रकार सूक्ष्म स्तरीय नियोजन केन्द्रीकृत योजना की तुलना में विकेन्द्रित योजना-निर्माण की प्रक्रिया का एक अभिन्न और अविभाज्य अंग है। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय योजनाओं की कमजोरियों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है :

- ये योजनाएँ लोक-आधारित न होकर सरकार–आधारित होती हैं।
- सभी स्तरों पर योजना के सूत्रण एवं क्रियान्वयन के प्रमुख दायित्व का निर्वहन केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य-सरकारों तथा जिला प्रशासनिक-तंत्र द्वारा किया जाता है।
- विकास संबंधी नीतियों के निर्धारण एवं संसाधनों के वितरण में केन्द्रीय सरकार की अहम् भूमिका होती है।
- लोगों की आकांक्षाओं, जरूरतों एवं आवश्यकताओं के निर्धारण में समुदाय अथवा सामुदायिक संगठनों की भूमिका नगण्य होती है।
- समुदाय में इस विचारधारा की बल मिलता है कि उसके विकास की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है।
- लोगों में स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों के आधार पर पहल का अभाव पैदा होता है और लोग अपनी क्षमताओं को भूलकर सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगते हैं।

अतएव, विकेन्द्रित योजना के प्रतिफलन के रूप में यदि हम सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को देखें, तो पाएँगे कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन वस्तुतः स्थानीय स्तर पर समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को पहचानने, उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटाने तथा लोक सहभागिता से एक ऐसी योजना के निर्माण की प्रक्रिया को बल प्रदान करना है, जिससे सरकार एवं समुदाय के बीच स्थापित 'दाता-पाता' के संबंधों में कमी आती है। निष्कर्षतः सूक्ष्म स्तरीय नियोजन लोगों को खुद सोचने, विश्लेषण करने, निर्णय लेने, योजना बनाने, मूल्यांकन करने, क्रियान्वित करने तथा उसके प्रबंधन एवं अनुश्रवण का अवसर प्रदान करता है। परिणामस्वरूप लोगों में आत्म-विश्वास के साथ अपना विकास खुद करने की क्षमता विकसित होती है।

1.2 प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन

प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु समुदाय की सहभागिता एवं नेतृत्व का एक ऐसी 'प्रक्रिया' से है, जिससे न सिर्फ जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन, ठहराव और उपलब्धि संबंधी घोषित लक्ष्यों की संप्राप्ति होगी; बल्कि पूरी प्रक्रिया में हमारे सभी प्राथमिक विद्यालयों का सामुदायिक संस्थागत चरित्र भी उभरकर सामने आएगा एवं प्राथमिक शिक्षा की

माँग स्वतः ही उभरेगी। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की असली शक्ति यह है कि इस प्रक्रिया में शामिल लोग अपने कार्य का परिणाम जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ एक ओर समुदाय सरकार द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए योजना बनाता है; वहीं दूसरी ओर प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों के नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति को भी सुनिश्चित करने का दायित्व अपने कंधों पर लेता है। इस प्रकार विकेन्द्रित योजना निर्माण एवं प्रबंधन की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर लोक आधारित संरचनाओं का विकास एवं उनका संवर्द्धन अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। यहाँ भी आबादियों के सभी बच्चों (6-11 आयुवर्ग) तक प्राथमिक शिक्षा पहुँचाने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन ग्राम शिक्षा समितियों, माता–शिक्षक समितियों, शिक्षक–अभिभावक समितियों की अभिकल्पना की गई है, उसका सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया से न सिर्फ सशक्तिकरण होता है; बल्कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के वाहक के रूप में उनकी भूमिका प्राथमिक शिक्षा के प्रति सामुदायिक स्वामित्व की भावना को भी मजबूत बनाती है। अतः सार्वजनिक शैक्षिक सुलभता को सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए समाज में अन्दर से ही मांग उभारने के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की आवश्यकता निर्विवाद है।

1.3 बिहार शिक्षा परियोजना की दृष्टि

आज से लगभग दो वर्ष पहले बिहार शिक्षा परियोजना ने सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का कार्य प्रारंभ किया था। इन दो वर्षों के हमारे अनुभव बताते हैं कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के द्वारा बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हुई है। गाँवों में गुणवत्त शिक्षा की मांग बढ़ी है। विद्यालय के भौतिक विकास के कार्यों में समुदाय ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है और लोगों में अपनी समस्याओं के समाधान स्थानीय स्तर पर ढूँढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका अर्थ यह हुआ कि योजनाओं का सूत्रण, अल्पकालीन लक्ष्य का निर्धारण तथा प्रबंधन आदि ऊपर के निर्देश से नीचे नहीं जाना चाहिए; अपितु जहाँ के लिए योजना बने, वहीं के लोग अपनी समस्याओं की समझें और उन्हें हल करने के लिए न केवल योजना ही बनाएँ; बल्कि उसे लागू करने के लिए भी वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हों। अतएव, बिहार शिक्षा परियोजना की दृष्टि में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन लक्ष्यों की प्राप्ति की वह प्रक्रिया या तकनीकि है; जिसमें निम्न विशिष्टताएँ अन्तर्निहित हैं :–

- 6-11 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।
- सामूहिक सहभागिता से साझी-समझ का निर्माण होता है।
- लोकभागीदारी एवं लोक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन होता है।
- समुदाय को स्वयं के विकास के लिए सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है।
- अभिवंचित वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, अन्य कमजोर वर्गों यथा मजदूरों, किसानों, गरीबों एवं जानकारी विहीन लोगों को अपने विकास का रास्ता स्वयं चुनने का हक मिलता है।
- शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य की संप्राप्ति की दृष्टि से समुदाय की सक्रियता बढ़ जाती है।
- विद्यालय के सामुदायिक संस्थागत चरित्र के बारे में सही समझ विकसित होती है, और सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण होता है।

2. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के उद्देश्य

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के संबंध में बि. शि. प. कर्मियों में जो समझ अब तक विकसित हुई है, उसके अनुसार निम्न उद्देश्यों को उद्धृत किया जा सकता है :—

- स्थानीय स्तर पर लोकभागीदारी के माध्यम से सहभागिता आधारित योजना का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन की रणनीति तय करना।
- विद्यालय एवं समुदाय के बीच के अंतर्संबंधों को रेखांकित करते हुए 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं अधिगम उपलब्धि का स्तरोन्नयन करना।
- सर्वेक्षण के माध्यम से विश्वसनीय आँकड़ों की सम्प्राप्ति, उनका विश्लेषण तथा योजना-निर्माण हेतु उनका उपयोग सुनिश्चित करना।
- स्थानीन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय के शैक्षिक, भौतिक स्तर में सुधार हेतु समुदाय को गतिशील बनाना।
- नियमित रूप से विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करना तथा उनमें पठन-पाठन का माहौल तैयार करना।

3. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की इकाई

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के बारे में अबतक के विवेचन से यह तो स्पष्ट है कि योजना का सूत्रण स्थानीय स्तर पर होगा, जिसमें लक्ष्य का निर्धारण स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल होगा, तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु विकेन्द्रित योजना एवं प्रबंधन भी आवश्यक होंगे। किन्तु प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मूल संदर्भ में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की इकाई क्यों होगी, यह प्रश्न अभी तक अनुतरित हैं।

प्रश्न यह है कि हम 'गाँव' एवं संबंधित 'प्राथमिक विद्यालय के पोषक क्षेत्र' दोनों में से किसको सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की आदर्श इकाई मानें। क्योंकि, जहाँ एक ओर गाँव सदियों से सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों का केन्द्र बिन्दु रहा है, वहीं दूसरी ओर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय का पोषक क्षेत्र संबंधित ग्राम शिक्षा समिति का घोषित केन्द्र बिन्दु है। यही नहीं, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया में उभरनेवाली ग्राम शिक्षा योजना को लागू करने का कार्य भी ग्राम शिक्षा समिति का होगा। यहाँ बि. शि. प. का मानना है कि सभी विकासात्मक कार्यक्रमों एवं योजनाओं की भाँति ही ग्राम शिक्षा योजना का सूत्रण भी सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया में पूरे गाँव के लिए किया जाना चाहिए, न कि केवल संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र के लिए। वैसे भी किसी भी विद्यालय के 'पोषक क्षेत्र' को केवल ग्राम शिक्षा समिति का कार्य-क्षेत्र होने की वजह से सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की इकाई मानना व्यवहारिक न होगा; क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि एक विद्यालय के पोषक क्षेत्र का विस्तार दो-तीन गाँवों तक भी होता है तथा उसी प्रकार एक बड़े गाँव में दो-तीन विद्यालय होने की स्थिति में दो-तीन ग्राम शिक्षा समितियाँ भी उस गाँव में कार्यशील रहेंगी।

अतः आदर्श स्थिति तो यह है कि गाँव को इकाई मानकर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन किया जाए और परिस्थितिनुसार ही स्वतंत्र एवं साझे रूप में क्रमशः एक या एक से अधिक ग्राम शिक्षा समितियों के लिए ग्राम शिक्षा योजना का सूत्रण हो।

4. सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की रणनीति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अभिकल्पना एक चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में की गई है। वातावरण निर्माण से लेकर ग्राम शिक्षा योजना बनने तक की प्रक्रिया में कितने दिन लगेंगे इसके संबंध में बि. शि. प. में यह सोच बनी है कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से जुड़ी सभी गतिविधियों को लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। परन्तु इससे पहले जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर अपेक्षित संख्या में अभिप्रेरकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होगा, जो आगे चलकर जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा तैयार कार्य-योजना के अनुसार सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए चिह्नित गाँवों में क्रमशः प्रेरकों का चयन और उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे और अंत में दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही सामूहिक सहभागिता से, साझी समझ की प्रक्रिया से लोक आधारित ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण होगा।

अतः सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए निर्धारित प्रत्येक इकाई / गाँव के लिए सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की रणनीति तय करते समय हमें सबसे पहले निम्न तीन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा :–

1. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का ग्राम शिक्षा समिति के साथ अर्न्तसंबंध।
2. 'सामूहिक सहभागिता से साझी समझ' की प्रक्रिया से ग्राम शिक्षा समिति का गठन / पुनर्गठन।
3. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन में वित्त की भूमिका।

उपर्युक्त दृष्टियों से सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को समझने के पश्चात् ही प्रक्रिया आधारित क्रियान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप देना होगा।

4.1 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का ग्राम शिक्षा समिति के साथ अर्न्तसंबंध

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य-योजना 1992 के शिक्षा प्रबंधन अध्याय में ग्राम शिक्षा समिति तथा सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के अंतर्संबंधों को निम्न शब्दों में स्पष्ट किया गया है :—

''ग्राम शिक्षा समिति की प्रमुख भूमिका यह होनी चाहिए कि वह सूक्ष्म (लघु) स्तरीय योजना तथा विद्यालय मानचित्रण को शिक्षा नियोजन के लिए पूरी तरह से उभारे। इस कार्य के लिए परिवार-परिवार सर्वेक्षण तथा अभिभावकों के साथ लगातार सम्पर्क करें तथा उनके साथ बैठकें करे।'' इस प्रकार ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन का प्रमुख दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का बनता है या यों कहें कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया में जो ग्राम शिक्षा योजना बनेगी उसे गाँव की प्रतिनिधि संस्था के रूप में ग्राम शिक्षा समिति ही लागू करेगी।

परन्तु बि. शि. प. कर्मियों के लिए यहाँ यह जानना आवश्यक होगा कि भिन्न-भिन्न स्थितियों में ग्राम शिक्षा समिति सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के कार्य को कैसे प्रभावित करती है तथा स्वयं उससे कैसे प्रभावित होती है :—

- पहली स्थिति तो यह हो सकती है कि जिस गाँव में सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन हो रहा हो उस गाँव में पहले से भी ग्राम शिक्षा समिति कार्य कर रही हो। वैसी स्थिति में ग्राम शिक्षा

समिति के पढ़े-लिखे सदस्य ही प्रेरक के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी संभालेंगे और इस प्रकार लोक चेतना एवं लोक सहभागिता द्वारा जो ग्राम शिक्षा योजना अंततः बनकर तैयार होगी, उसे ग्राम शिक्षा समिति द्वारा तैयार ग्राम शिक्षा योजना कहा जाएगा।

- दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि गाँव में ग्राम शिक्षा समिति तो है परन्तु इसका सम्यक गठन न हुआ हो, और/या समिति निष्क्रिय हो; इस स्थिति में वातावरण निर्माण के क्रम में वैसे प्रेरकों के चयन पर विशेष बल देना होगा जो आगे चलकर गठित/पुनर्गठित होने वाली ग्राम शिक्षा समिति के सामान्य सदस्यों अथवा विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल होने की स्थिति में होंगे। इससे हमारा आशय यह है कि सभी चयनित होनेवाले प्रेरकों में समुदाय की आस्था होनी चाहिए और यह तभी संभव होगा जब उनका चयन सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया से हो। इस प्रकार प्रत्येक गाँव में गठित प्रेरक दल द्वारा तैयार ग्राम शिक्षा योजना को स्वतः ही समुदाय एवं ग्राम शिक्षा समिति की स्वीकृति मिल सकेगी।
- तीसरी स्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ पहले से गठित/विकसित ग्राम शिक्षा समिति हो ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में सर्वप्रथम 'सामूहिक सहभागिता से साझी समझ' की प्रक्रिया द्वारा प्रेरकों का चयन सुनिश्चित करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्रारम्भ में ही ग्राम शिक्षा समिति का गठन कर लिया जाए और समिति के ही पढ़े-लिखे सदस्यों में से ही कुछ लोगों को समिति की सहमति से प्रेरक की सभी जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाएँ। तब इन प्रेरकों की सहायता से तैयार सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया से विकसित ग्राम शिक्षा योजना को समिति अपनी बनाई योजना कह सकेगी। परन्तु ग्राम शिक्षा समिति का गठन पहले हो जाए अथवा बाद में, इसका निर्णय गाँव की ठोस वस्तुगत स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही हो सकता है।

4.2 सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया में ग्राम शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रम में ग्राम शिक्षा समिति का गठन/पुनर्गठन करने के लिए यह आवश्यक होगा कि अभिप्रेरक दल सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक से मिलकर विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के माता-पिता तथा उस विद्यालय के पोषक क्षेत्र के निवासियों की आम सभा की बैठक, पूर्व सूचना के आधार पर करें। कोशिश यह हो कि बैठक में भाग लेने की सूचना दो-तीन दिन पूर्व से ही सभी तक पहुँच जाए तथा बैठक का समय भी लोगों की सुविधानुसार तय किया जाए। सामान्यतया, इस प्रकार की सभी बैठकों का आयोजन विद्यालय परिसर में ही किया जाएगा; किन्तु अपरिहार्य कारणों से बैठक के स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है।

तत्पश्चात्, वातावरण-निर्माण के प्रयास किए जाने चाहिए। अभिप्रेरकों को चाहिए कि वे प्रभात-फेरी, मानव श्रृंखला निर्माण, लोकगीतों, रैलियों, बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार शिक्षा-गीतों/कैसेटों, पदयात्रा, नुक्कड़-नाटक, विद्यालय स्तर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से समुदाय की प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें।

बैठक के दिन स्कूली बच्चों द्वारा या गाँव / मुहल्ले की सांस्कृतिक टोलियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबध में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जा सकता है। यदि समुदाय का कोई व्यक्ति इस अवसर पर गीत या कविता आदि का पाठ करना चाहे, तो उन्हें उसका अवसर दिया जाना चाहिए। समुदाय को प्रस्तुतियों के लिए प्रेरित भी किया जा सकता है। बैठक संचालन करने के लिए आम सहमति से एक संचालन मंडली बनाई जा सकती है, जिसमें महिलाएँ एवं अभिवंचित वर्गों के व्यक्ति भी शामिल रहें। यह मंडली 3, 5, 7 आदि की संख्या में हो सकती है।

इसके बाद अभिप्रेरक समुदाय के आमंत्रित सज्जनों का स्वागत करें तथा शिक्षा के सार्वजनीकरण के मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा करें। चर्चा उस गाँव / मुहल्ले के बच्चों / बच्चियों की प्राथमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे– 6-11 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के नामांकन, नियमित उपस्थिति, एवं ठहराव की आवश्यकता पर केन्द्रित हो। पिछले वर्षों के आँकड़ों को प्रस्तुत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है कि बाल-पंजी के अनुसार अथवा मोटे तौर पर 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या के आधार पर विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चों का नामांकन रहा है। इसी प्रकार, नियमित एवं औसत उपस्थिति का विवरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर चर्चा में, यह बात लाई जा सकती है कि विद्यालय में ठहराव का मोटे तौर पर प्रतिशत क्या रहा है? ये सूचनाएँ चार्ट पेपर / ब्लैक बोर्ड पर भी अंकित करते हुए बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर समुदाय की इच्छा हो तो इन सूचनाओं में वे अपनी तरफ से भी कुछ जोड़-घटा सकते हैं।

इन प्रारंभिक सूचनाओं के बाद बैठक में विचार के लिए कुछ विषय उभारे जा सकते हैं। ये विषय इस प्रकार हो सकते हैं :—

- प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता।
- पढ़ाई-लिखाई से होनेवाले फायदे।
- अनपढ़ रह जाने के परिणामस्वरूप आनेवाली कठिनाइयाँ।
- प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की भूमिका।
- बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के लिए माँ-बाप के कर्त्तव्य।
- बालिकाओं की शिक्षा की जरुरत।
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय।
- समुदाय एवं शिक्षकों के आपसी संबंध।
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों के कर्त्तव्य।
- प्राथमिक विद्यालयों को 'समुदाय का विद्यालय' यानी 'हमारा विद्यालय' कैसे बनाएँ?
- शिक्षक, समुदाय एवं शिक्षा विभाग के बीच के संबध क्या हो ?
- विद्यालय में सर्वव्यापी नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं ठहराव के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
- विद्यालय में सर्वव्यापी नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव के लिए समुदाय को क्या करना चाहिए?

- प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव के लिए शिक्षा विभाग की क्या करना चाहिए ?
- विद्यालय के विकास हेतु समुदाय क्या-क्या कर सकता है ? आदि।

सभी विषयों को एक साथ चार्ट-पेपर/ब्लैकबोर्ड पर अंकित किया जा सकता है। उपस्थित सदस्य यदि कुछ विषयों को जोड़ना चाहें तो जोड़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार उभरे प्रत्येक विषय पर बारी-बारी से संचालन मंडली की देख-रेख में सामूहिक चर्चा प्रारंभ की जा सकती है। चर्चा सहभागितापूर्ण हो तथा जो विचार आएँ उन्हें लोग जान-समझ सकें, इसके लिए प्रत्येक विचार को सारांश रूप में चार्ट-पेपर/ब्लैकबोर्ड पर लिखते जाना ठीक रहेगा। उचित होगा कि प्रतिवेदक का भी चुनाव कर लिया जाए, जो उभरी हुई बातों को बिन्दुवार अंकित करते जाएँ। प्रत्येक विषय पर सामूहिक चर्चा समाप्त होने के बाद उसका विवरण पढ़ कर सुनाया जाय; ताकि यदि कोई बात छूट गयी हों तो वह भी अंकित हो जाए।

हर विषय पर चर्चा हो जाने के बाद अभिप्रेरक बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के गठन के संबंध में चर्चा करें। वे मोटे तौर पर ग्राम शिक्षा समिति के स्वरूप, कार्य एवं बैठकों आदि की जानकारी दें। वे इस बात को अवश्य स्पष्ट करें कि जो लोग भी ग्राम शिक्षा समिति में रहेंगे वे गाँव/मुहल्ला के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों आदि की समय-समय पर जानकारी समुदाय को बैठकों में देंगे तथा समुदाय की राय समय-समय पर प्राप्त करेंगे। यह भी चर्चा करें कि जो लोग समय दे सकते हों वही लोग ग्राम शिक्षा समिति में शामिल किए जाएँ।

तत्पश्चात ग्राम शिक्षा समिति के गठन/पुनर्गठन के लिए एक दूसरी बैठक की तिथि एवं समय घोषित कर दिया जाएँ; ताकि गाँव के लोग आपस में पूरी चर्चा करके सदस्यों का नाम दे सकें। दूसरी बैठक में मुख्यतः ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन करा लिया जाए।

यदि पहली बैठक में पर्याप्त संख्या में लोगों की उपस्थिति हो तथा लोग उसी बैठक में ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन कर लेने के पक्षधर हीं तो उस बैठक में ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का चयन किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से पहली या दूसरी बैठक के दौरान सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए प्रेरकों का चयन कर लिया जाए। यदि प्रथम बैठक में ग्राम शिक्षा समिति के गठन की स्थिति न बनती हो तो भी प्रेरकों का चयन अवश्य हो जाए। यदि दूसरी बैठक सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया के दौरान ही निर्धारित हो, तो विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ तक संभव हो प्रेरक दल के सदस्य समिति के सदस्य के रूप में आम सभा द्वारा अवश्य स्वीकार कर लिए जाएँ।

ग्राम शिक्षा समिति का गठन होने के उपरांत सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अभिप्रेरक और प्रेरक दल के सदस्य आवश्यकतानुसार ग्रामीणों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ लगातार बैठकें करेंगे और उनका सहयोग तबतक लेंगे, जबतक ग्राम शिक्षा योजना तैयार नहीं हो जाती।

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के दौरान अभिप्रेरक/प्रेरक दल जैसी भी स्थिति हो, सभी बैठकों में निरन्तर कोशिश करेंगे कि समुदाय को यह न लगे कि समुदाय की समझदारी पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। यह भी न लगे कि समुदाय के प्रति यथोचित सौजन्यता का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। पूरी विनम्रता

के साथ समुदाय के प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करते हुए बैठकों में बातों को आगे बढ़ाना आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा के प्रति साझी समझ इसी सामूहिक सहभागिता से उभरेगी।

4.3 सूक्ष्मस्तरीय नियोजन में वित्त की भूमिका : बि. शि. प. का दृष्टिकोण

सूक्ष्म स्तरीय नियोयन के बारे में बिहार शिक्षा परियोजना की समझ है कि 'यह स्थानीय — स्तर पर समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को पहचानने, उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक संसाधनों को जुटाने तथा लोक सहभागिता से एक ऐसी योजना के निर्माण की प्रक्रिया को बल प्रदान करना है जिससे सरकार एवं समुदाय के बीच स्थापित **'दाता-पाता'** के संबंधों में कमी आती है।' अतएव बार-बार यह सवाल पैदा होता है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म स्तरीय नियोजन में वित्त की भूमिका को किस रूप में देखा जाना चाहिए; क्योंकि निश्चित तौर पर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति सोची गई है उसमें कुछ वाहरी कारकों की भूमिका होगी, जिन्हें हम अभिप्रेरक कह रहे हैं और जिनको एक सुनिश्चित मानदेय देना आवश्यक होगा। साथ ही साथ, सूक्ष्म स्तरीय नियोजन को सफल बनाने हेतु हमें संबंधित गाँव में उन सभी सहायक गतिविधियों पर भी धनराशि खर्च करने की आवश्यकता होगी; जिन्हें जागरुकता के अभाव में समुदाय तत्कालिक रूप से वहन करने की स्थिति में न होगा जैसे-- वातावरण निर्माण से जुड़ी वे गतिविधियाँ जिनपर खर्च करना आवश्यक एवं लाजिमी होगा खासकर, सभी प्रकार के दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का प्रयोग, शिक्षा गीत माला के कैसेटों का लाउडस्पीकर से प्रसारण, वीडियो फिल्म प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के मेलों, रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं संगोष्टियों का आयोजन इत्यादि। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण प्रपत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण पर भी निश्चित रूप से हमें कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ेगी; परन्तु इससे यह आशय कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन एक वित्त संचालित (Finance Driven) कार्य है।

वस्तुतः सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए प्रत्येक ग्राम इकाई में बिहार शिक्षा परियोजना की ओर से जो आवश्यक वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप हो रहा है, उससे हमारा आशय यह है कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के माध्यम से लोक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हमारे विनम्र योगदान को समुदाय किसी भी शंका और संदेह की नजर से न देखे और हम दाता-पाता की परिधि को तोड़कर न सिर्फ समुदाय के सच्चे सहभागी बने; बल्कि एक बि. शि. प. कर्मी, अभिप्रेरक और प्रेरक के रूप में समुदाय का नेतृत्व भी स्वीकार करें। संभवतः, तब कहीं हम यह समझ पाएँगें कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन एक वित्त संचालित गतिविधि नहीं है। अतएव हमारे चयनित अभिप्रेरक ऐसे हों जो निष्ठावान एवं सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया के प्रति समर्पित युवक-युवतियाँ हों और जो कार्य को पूरी गंभीरता, बौद्धिक ईमानदारी एवं समुदाय के प्रति गहन संवेदनशीलता के साथ कर सकते हों। उन्हें पहले से ही ही कार्य की गंभीरता की समझ देनी होगी। स्पष्टतः, बि. शि. प. को अभिप्रेरकों के चयन एवं उनके प्रशिक्षण में गहरी सूझ-बूझ एवं सावधानी बरतनी होगी। जो लोग **महज इसलिए** जुड़ना चाहेंगे ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, वैसे लोगों से हमें परहेज करना होगा। वे लोग जो किसी भी सरकारी योजना से जुड़कर **लाभ उठाने का अनुभव या मानसिकता** रखते हों, वैसे लोग कदापि न जुड़ें, बि. शि. प. को जाग्रत रहना होगा।

अन्ततः, हर स्तर पर बात साफ करनी होगी कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन वित्त संचालित कार्यक्रम नहीं है।

5. क्रियान्वयन की रणनीति

उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रियान्वयन की रणनीति को मुख्यतः छः भागों में बाँटा जा सकता है जो इस प्रकार है :—

1. अभिप्रेरकों और प्रेरकों के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण
2. अभिप्रेरक और प्रेरक दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण
3. वातावरण-निर्माण
4. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अग्रिम तैयारी
5. सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की जमीनी प्रक्रिया
6. अनुश्रवण की पद्धति

अब प्रत्येक भाग को विस्तार से निम्न प्रकार से समझना होगा :—

5.1 अभिप्रेरकों एवं प्रेरकों के कार्य एवं दायित्व का निर्धारण।

5.1.1 अभिप्रेरकों के कार्य एवं दायित्व

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत अभिप्रेरकों के लिए निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया जा सकता है :—

- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए चयनित गाँवों के बारे में जिला एवं प्रखंड कार्यालय से सामान्य जानकारियों, आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना, जिससे गाँव की आबादी, विद्यालय की स्थिति एवं मतदाता सूची के अनुसार गाँव में रहनेवाले व्यक्तियों/परिवारों और उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का पूर्वानुमान हो सकें। बि. शि. प. के जिला कार्यालय द्वारा 'जनगणना हस्तपुस्तिका' से भी कुछ सामान्य आँकड़ें अभिप्रेरकों को उपलब्ध कराना ठीक रहेगा।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में से गाँव से जैसी भी जमीनी स्थिति हो, प्रेरकों को चिह्नित करना एवं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आम सभा, बैठक आदि के लिए उपयुक्त स्थान का चयन जो समुदाय को सर्वमान्य एवं सुलभ हो।
- ग्राम सभा/आम सभा की बैठकों का आयोजन करना।
- समुदाय के साथ सम्पर्क स्थापित करना एवं अनौपचारिक चर्चा करना।
- गाँव में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए यथोचित वातावरण का निर्माण करना।
- संबंधित गाँव में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन संबंधी समस्त दायित्वों का वहन करना।
- प्रेरकों को समय-समय पर यथोचित मार्गदर्शन एवं सहयोग देना।

- सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की जमीनी प्रक्रिया में वास्तविक रूप से पूर्ण लोकभागीदारी सुनिश्चित करना।
- सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के क्रम में गाँव में एकत्रित सूचनाओं एवं आँकड़ों को संकलित करना तथा उसे ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों (यदि पूर्व से गठित हो) एवं समुदाय के साथ मिल-बैठकर विश्लेषण (शेयर) करना तथा ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
- साझी समझ के आधार पर गाँव में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए आम सभा में ग्राम शिक्षा योजना बनाने में समुदाय की सहयोग करना।
- ग्राम शिक्षा समिति गठित/पुनर्गठित (यदि आवश्यक हो) करने में समुदाय को सहयोग करना।
- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए दिए गए गाँवों की स्थिति की जानकारी जिला कार्यालय को देना।
- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से प्राप्त आँकड़ों की एक प्रति जिला कार्यालय की देना।

5.1.2 प्रेरकों के कार्य एवं दायित्व

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया में प्रेरकों को निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व संभालना होगा :—

- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए वातावरण निर्माण करना।
- समुदाय के साथ बैठकों का आयोजन करना।
- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की विभिन्न गतिविधियों यथा—नजरी नक्शा, शैक्षणिक तस्वीर, समय-रेखा, उत्तरदायित्व चार्ट आदि समुदाय के सहयोग से तैयार करना।
- घर-घर जाकर सर्वे करना।
- गाँव में कार्यरत विभिन्न प्रकार के समूहों और, सांस्कृतिक दलों, रंग-मंडलियों, एवं समितियों का सहयोग प्राप्त करना/बनाए रखना।
- गाँव से संकलित आँकड़ों, तथ्यों के विश्लेषण करने में समुदाय को सहयोग करना।
- सामूहिक सहभागिता एवं साझी समझ की प्रक्रिया अपनाकर आम-सभा द्वारा ग्राम शिक्षा योजना के निर्माण में समुदाय को सहयोग करना।
- ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों में भाग लेना तथा मिल-बैठकर कार्य करना।
- ग्राम शिक्षा समिति एवं समुदाय को ग्राम शिक्षा योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करना।
- गाँव के अन्य विकास कार्यों में रुचि लेना तथा समुदाय को अपेक्षित सहयोग करना।

5.2 अभिप्रेरक और प्रेरक दलों का गठन एवं उनका प्रशिक्षण

5.2.1 अभिप्रेरक दल के गठन की प्रक्रिया एवं उनका प्रशिक्षण

अभिप्रेरकों के लिए सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध, प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में अभिरुचि रखने वाले, अभिवंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील, उमंगों से भरे, स्वच्छ छवि के वैसे लोगों की पहचान करनी होगी जो अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक और वचनबद्ध होंगे। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनानी होगी। हमें सूचना एवं जन संपर्क के सभी स्रोतों, माध्यमों से और पहले से उपलब्ध समस्त जानकारियों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करना होगा। अभिप्रेरक मुख्यतः निम्न समूहों में से चिह्नित किए जा सकते हैं :—

- ☐ भूतपूर्व बि. शि. प. कर्मी
- ☐ सेवानिवृत शिक्षक
- ☐ बि. शि. प. के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े सुयोग्य प्रशिक्षक
- ☐ बेस-लाइन-स्टडी, सोशल एसेसमेंट स्टडी तथा अन्य मूल्यांकन आधारित कार्यों से जुड़े शोधकर्मी
- ☐ राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्य / एन. सी. सी. के सदस्य
- ☐ नेहरु युवा केन्द्रों से जुड़े सेवा कर्मी एवं युवा मंडल / महिला मंडलों के जागरुक सदस्य
- ☐ उच्च विद्यालयों / महाविद्यालयों के इच्छुक शिक्षक
- ☐ विभिन्न सामाजिक आंदोलनों से जुड़े व्यक्ति / एक्टिविस्ट
- ☐ विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों / महिला संगठनों के सदस्य / पुस्तकालय आन्दोलन से जुड़े लोग
- ☐ रंग कर्मी / सांस्कृतिक कर्मी / बुद्धिजीवी संगठन से जुड़े लोग
- ☐ विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य छात्र-छात्रा
- ☐ ट्रेड यूनियनों / किसान संगठनों से जुड़े इच्छुक व्यक्ति

जब अभिप्रेरकों का यथोचित संख्या में चयन हो जाए तो सभी अभिप्रेरक मिलकर अभिप्रेरक दल कहे जाएँगे एवं तत्पश्चात् उनका विधिवत् प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन संबंधी अवधारणा, सूचना, कौशल, मनोवृत्ति एवं व्यक्तिगत गुणों को विकसित किया जाएगा।

ध्यान रखना होगा कि अभिप्रेरक दल में महिलाएँ / बालिकाएँ एवं अभिवंचित समुदाय के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में रहें।

5.2.2 प्रेरक दल के गठन की प्रक्रिया एवं उनका प्रशिक्षण

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए चिह्नित प्रत्येक ग्राम इकाई से ही प्रेरकों का चयन होगा। चयन का उत्तरदायित्व अभिप्रेरक दल के सदस्यों का होगा। यह दल वातावरण निर्माण की प्रक्रिया में आयोजित ग्राम स्तरीय बैठकों में सामूहिक सहभागिता से साझी समझ की प्रक्रिया द्वारा ही चयन का कार्य करेगा। जहाँ तक प्रेरकों की संख्या का प्रश्न है, तो यह गाँव की कुल अनुमानित आबादी / घरों की संख्या पर निर्भर करेगा। अनुमान के रूप में कहा जा सकता है कि लगभग 500 घरों वाले गाँव में पाँच प्रेरकों की आवश्यकता पड़ सकती है। परन्तु यह संख्या पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रेरक मिलकर प्रेरक दल कहलायेंगे।

जिस ग्राम इकाई में पहले से ग्राम शिक्षा समिति गठित हो और सक्रिय भी हो, उस गाँव से ग्राम शिक्षा समिति के ही पढ़े-लिखे इच्छुक सदस्य ही प्रेरक चुने जाएँगे।

जिस ग्राम इकाई में पूर्व से गठित ग्राम शिक्षा समिति निष्क्रिय हो, वहाँ प्रेरकों के चयन करते समय इस बात पर विशेष ध्यान होगा कि आम सहमति से वैसे प्रेरकों का चयन हो जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के अन्तर्गत बाद में पुनर्गठित होनेवाली समिति के सदस्य चुन लिए जाएँ। ध्यान रखना होगा कि यदि चयनित प्रेरक ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य चुने जा सकें, तो उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति से जोड़ लिया जाए।

जिस ग्राम इकाई में पहली बार ग्राम शिक्षा समिति का गठन हो रहा हो, वहाँ कोशिश हो कि चयनित प्रेरक या तो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में आम-सभा द्वारा स्वीकार कर लिए जाएँ अथवा वे विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति से जुड़े रहें। प्रेरकों का चयन गाँव में कार्यशील निम्न संस्थाओं, समितियों एवं व्यक्तियों के समूह में से करने हेतु आम-सभा को सलाह दी जानी चाहिए :—

- गाँव स्तर पर कार्यशील स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ता
- नेहरु युवा केन्द्र द्वारा स्थापित युवा मंडलों के प्रतिनिधि
- अनौपचारिक / वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक / अनुदेशिका
- महिला समाख्या कार्यक्रम से जुड़ी सहयोगिनी एवं सखी
- आँगनबाड़ी सेविका, महिला स्वास्थ्य कर्मी (A. N. M.)
- तथा अन्य जागरुक और प्राथमिक शिक्षा के विकास में अभिरुचि रखनेवाले ग्रामीण स्त्री-पुरुष एवं युवा।

ध्यान रखना होगा कि प्रेरक दल में महिलाएँ / अभिवंचित वर्गों के व्यक्ति अवश्य शामिल रहें।

इस प्रकार सभी चयनित प्रेरकों को 4–5 गाँवों के समूह अथवा पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देने का कार्य अभिप्रेरक दल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5.3 वातावरण-निर्माण

यूं तो प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत वातावरण निर्माण की आवश्यकता निर्विवाद है। परन्तु सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का सफलतापूर्वक संचालन करने एवं उसके प्रभाव को सुदीर्घ बनाए रखने के लिए कुल मिलाकर, वातावरण-निर्माण के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की संप्राप्ति की भावभूमि तैयार करने में मदद हो सकती है :—

- प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के घोषित लक्ष्यों एवं संदर्शों को जन-जन तक पहुँचाना।
- समुदाय में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के गुण-दोषों के बारे में विश्लेषणात्मक समझ विकसित करना एवं दोषों को दूर करने की मानसिकता तैयार करना।
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए समुदाय को अभिप्रेरित करना तथा सशक्त बनाना एवं
- लोक आधारित शैक्षिक नियोजन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना एवं समुदाय के बीच सेतु (Bridge) का काम करना।

प्रक्रिया

अतः वातावरण-निर्माण की सामान्य एवं सतत प्रक्रिया में समय-समय पर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए सघन वातावरण निर्माण की जो रणनीति बनेगी, वह स्थान/इकाई विशेष के सामाजिक/सांस्कृतिक परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राप्त सामुदायिक सहयोग की प्रकृति पर निर्भर करेगी। फिर भी निम्न गतिविधियों के सुनियोजित आयोजन के माध्यम से संबंधित ग्राम या ग्राम-समूहों में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा किया जा सकता है :—

- गाँव में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्त्ताओं, नेहरु युवा केन्द्र द्वारा स्थापित युवा-मंडलों के प्रतिनिधियों, गाँव के प्रतिष्ठित एवं प्रबुद्ध जनों, छात्र-छात्राओं, आँगनबाड़ी सेविका, महिला स्वास्थ्य कर्मी (A. N. M.). अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक/अनुदेशिका, अभिवंचित वर्गों के सक्रिय तथा शिक्षित सदस्यों, साक्षरता कर्मी तथा अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ सम्पर्क अभियान।
- माता-शिक्षक समिति, अभिभावक-शिक्षक समिति यदि पूर्व से हों, तो के साथ बैठकों का आयोजन। शिक्षक एवं अभिभावकों की सामूहिक बैठकों का आयोजन। इन बैठकों में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े विविध पहलुओं पर बात-चीत को उभारा जा सकता है।
- विद्यालय परिसर, स्थानीय हाट बाजार एवं गाँव में जगह-जगह पर पोस्टर, बैनर लगाना तथा पर्चा वितरण इत्यादि।

- संबंधित ग्राम / ग्राम समूह में पद-यात्रा, प्रभात-फेरी, मानव-श्रृंखला निर्माण, विभिन्न प्रकार की रैलियाँ, बाल-मेलों, सम्मेलनों, ग्रामीण बैठकों, मशाल जुलूस, नारा-लेखन, लोक-गीत, शिक्षा-गीत माला के कैसेटों का प्रयोग, नाटक (नुक्कड़ एवं / या मंचीय) विडियो फिल्म प्रदर्शन, तथा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

- विभिन्न चरणों में टोला / ग्राम / ग्राम-समूह तथा पंचायत स्तर पर आम सभा एवं बैठकों के माध्यम से सामूहिक सहभागिता से साझी-समझ विकसित करने का प्रयास।

- प्राथमिक शिक्षा के महत्व के बारे में स्लाइड, बिल-बोर्ड, होर्डिंग, श्रव्य एवं दृश्य कार्यक्रमों का यथासंभव प्रयोग करना।

इस तरह से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त अभिप्रेरक दल अपने-अपने निर्धारित कार्य-क्षेत्र के गाँवों में समुदाय का सहयोग एवं विश्वास प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम वातावरण निर्माण के रूप में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे।

वातावरण निर्माण के प्रारंभिक दौर में प्रेरकों का चयन एवं उनका प्रशिक्षण होगा तथा उसके बाद के दौर में समुदाय के सच्चे सहयोगी बनकर अभिप्रेरक एवं प्रेरक सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का काम प्रत्येक ग्राम इकाई में शुरु करेंगे। संभव है कि वातावरण निर्माण के दौरान ही ग्राम शिक्षा समितियों के गठन / पुर्नगठन का कार्य भी पूरा कर लिया जाए। नजरी नक्शा से लेकर ग्राम शिक्षा योजना बनने तक की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि वातावरण निर्माण संबंधी वर्णित गतिविधियाँ थम जाएँगी; परन्तु निश्चित तौर पर इनका स्वरूप पहले की अपेक्षा बदल जाएगा। अब वातावरण निर्माण का एकमात्र उद्देश्य सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों के दौरान निरंतर आयोजित होनेवाली बैठकों में ज्यादा-से-ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर जो ग्राम शिक्षा योजना उभरेगी, उसके बारे में आम सहमति विकसित करना होगा।

5.4 सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अग्रिम तैयारी

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अग्रिम तैयारी जितनी अच्छी होगी; सूक्ष्म स्तरीय नियोजन भी उतना ही सफल और अच्छा होगा। यहाँ अग्रिम तैयारी से आशय यह है कि सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए निर्धारित सभी ग्राम इकाईयों में प्रवेश करने से पहले सभी अभिप्रेरक दलों को अपने प्रशिक्षण के दौरान और प्रशिक्षण के उपरांत जिला स्तरीय कार्यालय के मार्गदर्शन एवं सहयोग से निम्नलिखित तैयारियाँ अवश्य ही पूरी कर लेनी चाहिए :—

- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के लिए चयनित गाँवों की शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

- जिन तरीकों, माध्यमों एवं सामग्रियों के उपयोग से गाँव के लोगों तक पहुँचना है, उन्हें जुटाना।

- जमकर गाँवों में रहना, रात्रि विश्राम करना तथा ग्रामवासियों के साथ सहज रिश्ता बनाकर, कार्य करने का मानस बनाना।
- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की समयावधि एवं तिथियों का निर्धारण।
- जिला स्तरीय रंगमंडलियों, सांस्कृतिकर्मियों, तथा स्थानीय कलाकारों के परस्पर समन्वय में वातावरण निर्माण के लिए रोचक कार्यक्रमों का निर्माण।

5.5 सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन की जमीनी प्रक्रिया

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की जमीनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बारह चरण (stage) शामिल हैं। इन चरणों को विस्तार से निम्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है :—

- गाँव को समझना / सम्बन्ध स्थापित करना
- नजरी नक्शा / विद्यालय मानचित्रण एवं परिचर्चा
- घर-घर सर्वेक्षण
- शैक्षणिक तस्वीर
- समय रेखा
- उत्तरदायित्व चार्ट / गतिविधि चार्ट
- मौसमी विश्लेषण
- विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करना
- आंकड़ों / तथ्यों का समेकन / विश्लेषण तथा समस्याओं की पहचान
- ग्रामीणों के साथ बैठक एवं परिचर्चा
- ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण एवं संसाधारण
- ग्राम शिक्षा योजना

5.5.1 गाँव को समझना / सम्बन्ध स्थापित करना

बि. शि. प. ने सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के लिए गाँव को इकाई के रूप में स्वीकार किया है। गाँव को ठीक से समझे बिना किसी भी गाँव में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। अतः वातावरण निर्माण के क्रम में इस गतिविधि के दौरान गाँव में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है तथा विभिन्न स्तरों पर जाकर समुदाय की वर्तमान मानसिकता एवं उसकी धारणाओं को समझने की चेष्टा की जाती है।

1.1 उद्देश्य

- सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति, बच्चों की शिक्षा एवं गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के सम्बन्ध में समुदाय की नकारात्मक एवं सकारात्मक सोच का पता लगाना तथा उनके सम्बन्ध में समझ विकसित करना।
- ग्रामवासियों / ग्राम शिक्षा समितियों तथा खासकर अभिवंचित वर्गों के परिवारों से संपर्क एवं संबंध स्थापित करना।
- गाँव में या गाँव से सबसे निकट उपलब्ध भौतिक सुविधाओं एवं संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना।

1.2 विधि

- ग्राम-भ्रमण
- सम्पर्क
- बातचीत / संवाद
- बैठक तथा सेवा / सुविधा मानचित्रण।

1.3 प्रक्रिया

इस गतिविधि को सफलतापूर्वक करने के लिए ग्राम भ्रमण, सम्पर्क, बातचीत / संवाद तथा बैठक आदि तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक आम व्यक्ति की तरह गाँव में प्रवेश करने के पश्चात् प्रत्येक स्तर, पर लोगों के साथ बातचीत सम्पर्क आदि कार्य किये जाते हैं। ग्राम-भ्रमण के दौरान गाँव में और गाँव से बाहर उपलब्ध सभी प्रकार की सेवाएँ एवं सुविधाएँ, गाँव से कितनी नजदीक एवं कितनी दूरी पर हैं, का पता लगाना अभिप्रेरकों का प्रथम कर्त्तव्य है। इसके लिए ग्रामीणों के साथ सेवा-सुविधा मानचित्र (Services And Opportunities Map) का अभ्यास किया जा सकता है; जिसमें जमीन पर या चार्ट-पेपर पर ग्रामीण यह अंकित करेंगे कि उनके गाँव में डाकघर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, आँगनबाड़ी, एवं अन्य प्रकार की सेवाएँ-सुविधाएँ कहाँ-कहाँ उपलब्ध हैं और यदि नहीं उपलब्ध है तो वे गाँव से कितनी दूरी पर स्थित है। इसी क्रम में नजदीकी रेलवे स्टेशन, बस-स्टैण्ड, प्रखण्ड कार्यालय, जिला मुख्यालय, हाई स्कूल एवं कॉलेज को भी दर्शाना ज्यादा उपयुक्त होगा। बाद में नजरी नक्शा का निर्माण करते समय भी गाँव में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की स्थिति को टोलावार देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए सुमई ग्राम के रविदास टोला को केन्द्र बिंदु मानकर तैयार किया गया 'सेवा-सुविधा मानचित्र' संलग्न है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रति अभिवंचित वर्ग की क्या धारणाएँ हैं? के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना, इस गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिवंचित वर्ग के साथ सम्बन्ध स्थापित

करने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ बातचीत की शुरुआत सुख-दुख के साथ हो। कार्यस्थल पर जाकर तथा उनके कार्यों में हाथ बँटाकर अनौपचारिक ढंग से बातचीत प्रारम्भ करना श्रेयस्कर होता है। बातचीत का तरीका इतना सहज एवं सरल हो कि उन्हें कभी नहीं लगे कि आप इन्हें कुछ देने के लिए आये हैं और न ही कुछ सिखाने के लिए। गाँव में ग्राम शिक्षा समिति होने की स्थिति में समिति के सदस्यों के साथ अवश्य बातचीत की जाय।

गाँव की समझने एवं सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् अभिप्रेरक दल गाँव से सम्बन्धित निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियों को अपनी डायरी पर अवश्य अंकित कर लें :—

- गाँव में किन-किन वर्गों के लोग रहते हैं,
- गाँव में उपलब्ध भौतिक सुविधाएँ तथा,
- कौन-कौन सी सुविधाएँ कितनी दूरी पर हैं ?
- आपके काम में कौन व्यक्ति मददगार हो सकते हैं, उनके नाम।
- अभिवंचित वर्ग के बीच गाँव के किस व्यक्ति का ज्यादा सकारात्मक प्रभाव है।
- शैक्षणिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएँ—जहाँ तक संभव हो सके।
- अन्य जानकारियाँ।

1.4 सावधानियाँ

- बातचीत एवं मिलने-जुलने का तरीका सरल एवं सहज हो।
- बातचीत में 'अहम' का भाव न झलके।
- बातचीत सीखने के उद्देश्य से हों, न कि सीखाने जैसा।
- ग्रामीणों की नकारात्मक प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में किसी भी तरह का तर्क-वितर्क नहीं किया जाए।
- ग्रामीणों के समक्ष अपनी डायरी पर कुछ नहीं लिखा जाए (बल्कि यह कार्य गाँव से लौटने के पश्चात् पूरा किया जाए)।
- ग्रामीणों के सभी तरह के विचारों को सम्मान दिया जाए।

सेवा-सुविधा मानचित्र

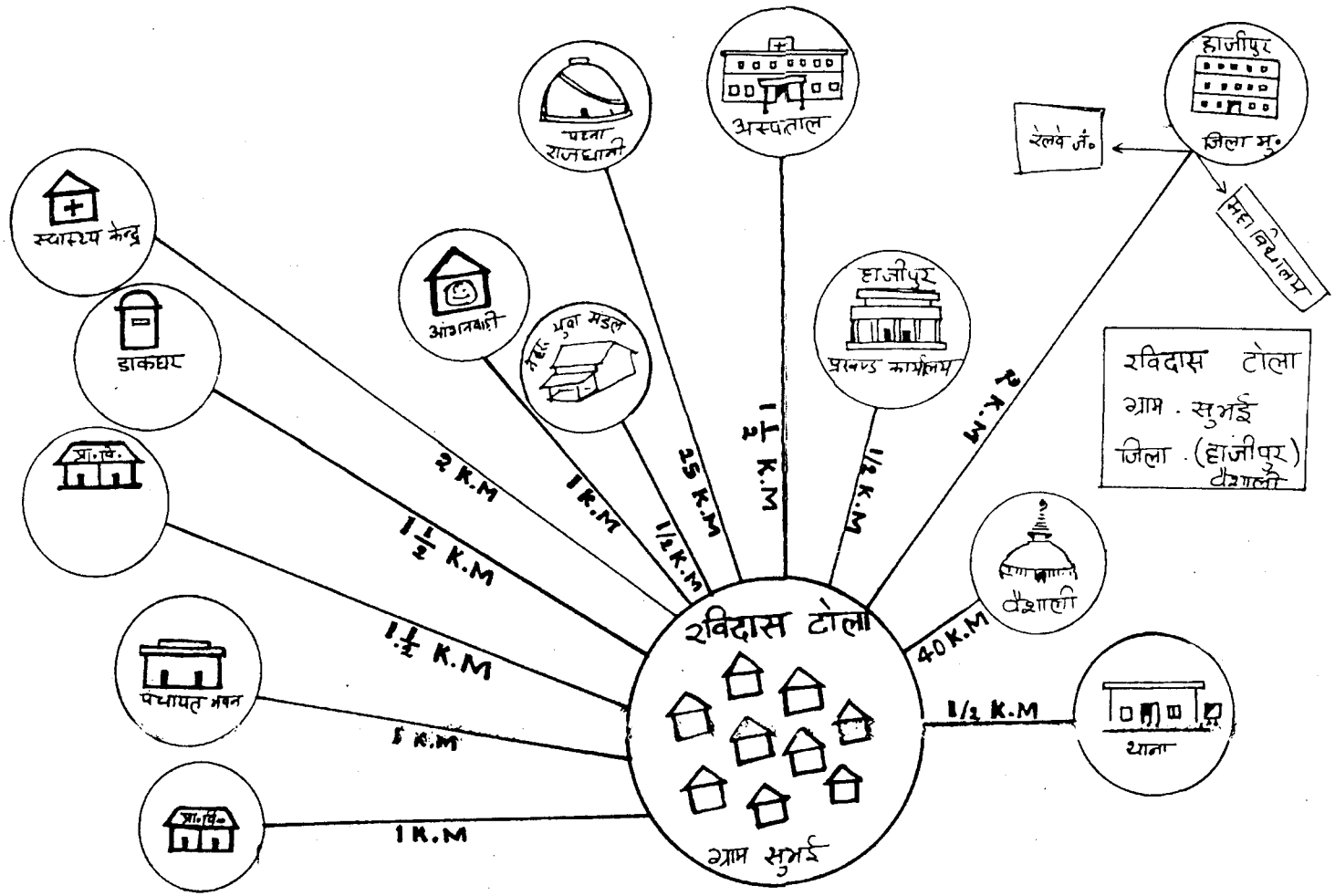

पटना राजधानी
अस्पताल
हाजीपुर
जिला मु॰
रेलवे जं॰
महा विद्यालय
स्वास्थ्य केन्द्र
आंगनबाड़ी
नेहरू युवा मंडल
हाजीपुर
प्रखण्ड कार्यालय
डाकघर
प्रा॰ वि॰
पंचायत भवन
प्रा॰ वि॰
वैशाली
थाना
रविदास टोला
ग्राम सुमई
2 K.M
1 1/2 K.M
1 1/2 K.M
5 K.M
1 K.M
1 K.M
1/2 K.M
25 K.M
1 1/2 K.M
1/2 K.M
2 K.M
40 K.M
1/2 K.M
रविदास टोला
ग्राम · सुमई
जिला · (हाजीपुर) वैशाली

5.5.2 नजरी नक्शा / विद्यालय मानचित्रण एवं परिचर्चा

गाँव को समझने की जमीनी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात् सूक्ष्मस्तरीय नियोजन की प्रक्रिया के दूसरे चरण में सम्बन्धित गाँव की शैक्षणिक स्थिति एवं उपलब्ध अन्य भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नजरी नक्शा / विद्यालय मानचित्रण का कार्य समुदाय की सहभागिता से किया जाएगा। इस तकनीक के अन्तर्गत गाँव का नक्शा अनुमान या 'नजर' से बनाया जाता है। इसलिए इस गतिविधि की हम नजरी नक्शा निर्माण गतिविधि कह सकते हैं। इस अभ्यास के दो भाग होंगे— नजरी नक्शा निर्माण तथा ग्रामीणों के साथ नजरी नक्शा पर परिचर्चा।

2.1 उद्देश्य

- गाँव के सम्बन्ध में पूर्व की समझ एवं जानकारी को पुख्ता करना ।
- कार्य प्रारम्भ करने हेतु ग्रामीणों के बीच दिलचस्पी बढ़ाना ।
- गाँव का कोई भी परिवार सर्वेक्षण में छूट न जाए उसे सुनिश्चित करना ।
- एक निगाह में स्थिति को देख सकने तथा स्थिति के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अवगत कराना।
- सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- गाँव से जुड़ी सामाजिक, शैक्षिक समस्याओं की ओर समुदाय का ध्यान आकृष्ट करना तथा समस्याओं के प्रति समुदाय की संवेदनशील बनाना ।
- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण हेतु ग्रामवासियों के बीच अनौपचारिक चर्चा करने हेतु एक उपकरण के रूप में उपयोग करना।

2.2 विधि

अनौपचारिक माहौल में, ग्रामीणों की सहभागिता से।

2.3 नक्शा में क्या दर्शाया जाय

गाँव के नजरी नक्शा में सामान्यतः निम्नलिखित चीजें दर्शाई जानी चाहिए :—

- गाँव की सीमा, गाँव के अन्दर की प्रमुख सड़कें तथा गलियाँ।
- पक्की सड़क तथा निकट के शहर या गाँव की दिशा।
- गाँव के अन्य प्रमुख स्थान जैसे– नदी, तालाब, मंदिर तथा स्टेशन।
- गाँव के विभिन्न टोले।
- लोगों का घर / मकान।
- गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ जैसे–प्राथमिक / मध्य विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, आँगनबाड़ी।

- गाँव की अन्य सुविधाएँ जैसे– पंचायत भवन, पोस्ट ऑफिस, पेयजल सुविधा, जब वितरण प्रणाली की दुकान आदि।

अगर उपर्युक्त सुविधाएँ गाँव के अन्दर नहीं हैं तो उनकी गाँव से दूरी दर्शाने के लिए पूर्व में तैयार Services And Opportunities Map का सहारा लिया जा सकता है।

2.4 नजरी नक्शा निर्माण करने की प्रक्रिया

नजरी नक्शा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पहले अभिप्रेरक/प्रेरक दल को निम्नलिखित सामग्रियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेने की आवश्यकता पड़ेगी :—

- रंगोली पाउडर, अन्य परिवेशीय सामग्री, आवश्यकतानुसार चार्ट, पेपर, स्केच-पेन, पेन्सिल, रबर, स्केल इत्यादि।
- नजरी नक्शा निर्माण की जमीनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्थान का निर्धारण।
- गतिविधि में शामिल होने के लिए ग्रामवासियों के बीच सूचना का संप्रेषण।

2.4.1 प्रारम्भिक नजरी नक्शा का निर्माण

जब नजरी नक्शा निर्माण स्थल पर ग्रामीण इकट्ठे हो जाएँ, अभिप्रेरक/प्रेरक दल अपने कार्य उद्देश्य के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी दे दें। इसी क्रम में नजरी नक्शा का निर्माण कैसे किया जाएगा? के सम्बन्ध में जानकारी देना श्रेयस्कर होगा।

उपस्थित लोगों में से कोई दो-तीन व्यक्तियों को लकड़ी के टुकड़े तथा रंगोली पाउडर की मदद से गाँव का नक्शा खींचने हेतु उत्प्रेरित किया जाए। हो सकता है शुरुआत में लोगों को नक्शा खींचने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभिप्रेरक/प्रेरक दल के सदस्य नक्शा खींचने में मदद करें। प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के बाद धीरे-धीरे नजरी नक्शा निर्माण की गतिविधि में ग्रामीणों की भागीदारी स्वतः बढ़ती जाएगी। नक्शा तैयार करने के कार्य की निम्नलिखित क्रमिक ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है :—

- सर्वप्रथम गाँव का एक छोर तय किया जाए, जहाँ से सर्वे की शुरुआत करनी है।
- गाँव के मुख्य रास्ते, मुख्य गलियाँ तथा प्रमुख आधारभूत सुविधाओं के अतिरिक्त खेतों, बागानों इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को भी दर्शाया जाए।
- क्रमानुसार मकान दर्शाया जाए तथा इस पर क्रम संख्या अंकित कर दी जाए।
- यदि गाँव बहुत बड़ा है, इस स्थिति में सभी टोलों के लिए सम्बन्धित टोलों में जाकर अलग नक्शा का निर्माण किया जाए।
- जब किसी खास टोले या ग्रुप का नक्शा तैयार हो जाए तो किसी को व्यक्ति-विशेष का घर दिखाने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। इससे अंकन को सही स्थिति की जाँच हो सकेगी तथा लोगों का कौतूहल तथा भागीदारी भी बढ़ेगी।

- अगर गाँव में स्कूल है या गाँव टोलों के बाहर अवस्थित है तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाए विद्यालय तक पहुँचने के रास्ते की बाधाएँ यादे हैं, तो उसे भी अंकित करना श्रेयस्कर होगा।
- जब गाँव के सभी घरों तथा मकानों का नक्शा बन जाए तत्पश्चात् मकान संख्या के क्रम के अनुसार 6–11 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की संख्याओं की जानकारी उपस्थित समूह से कर लें। फिर सम्बन्धित घर में बालक/बालिका की संख्या जितनी है, उतनी ही संख्या में क्रमशः बालक के लिए गोली एवं लड़कियों के लिए लकड़ी के टुकड़े रखने के लिए कहें।
- प्रेरक दल मकान संख्या के अनुसार परिवार कार्ड में या सादा कागज पर मकान मालिक का नाम, तथा 6–11 आयुवर्ग के लड़का/लड़की का नाम भी लिखते चलें। यह सूची घर-घर सर्वेक्षण करने के समय काफी लाभदायक होगी।
- अब प्रत्येक मकान पर रखे गए गोली एवं लकड़ी के टुकड़ा के माध्यम से विद्यालय जाने वाले तथा नहीं जाने वाले बालक/बालिकाओं की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- पुनः उपस्थित समूह को कहें कि क्रमानुसार जिस घर के बालक/बालिका विद्यालय नहीं जाती हैं, उस घर पर रखे गए गोली एवं लकड़ी के टुकड़ों को घर के बाहर रखें। इस तरह घर के भीतर एवं बाहर रखे गोली एवं लकड़ी के टुकड़ों को गिनती कराकर बहुत ही कम समय में गाँव में 6–11 आयुवर्ग के कुल कितने बालक-बालिकाएँ हैं तथा कितने बालक-बालिकाएँ स्कूल नहीं जाती हैं, के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी प्राप्त हो सकती है।

2.4.2 चार्ट पर उतारना

जब नक्शा निर्माण का कार्य जमीन पर पूरी हो जाए, प्रेरक-दल नक्शे की चार्ट पेपर पर सही ढंग से उतार लें। नक्शे को चार्ट पेपर पर उतारने के लिए निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जा सकता है :—

- नक्शे पर दिशा अंकित करना।
- नक्शे के ऊपर गाँव का नाम अंकित करें, यदि टोला का नक्शा है तो इस स्थिति में राजस्व गाँव का नाम कोष्ठक में उल्लेख करें।
- गाँव की चौहद्दी बनाई जाय तथा नक्शा इस प्रकार बने जिससे घरों के बीच की दूरी स्पष्ट हो, इसके लिए अपनाए जाने वाले संकेत के आकार को एक जैसा रखा जा सकता है।
- हर घर को अलग-अलग दर्शाते हुए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे या नहीं कर रहे बालक/बालिकाओं को सम्बन्धित घर में दर्शाएँ।

- जिस दिन एवं तिथि को नजरी नक्शा का निर्माण कार्य पूरा होगा, उस तिथि को नक्शे के कोने में अंकित कर लें।
- उपर्युक्त कार्यों को पहले पेंसिल से करना श्रेयस्कर होगा, जब आप आश्वस्त हो जाएँगे कि नक्शा पूर्णतः ठीक ढंग से तैयार हो गया है तथा नक्शा का कोई अंश नहीं छूटा है। उसके पश्चात् विभिन्न रंगों के स्केच पेन के माध्यम से रेखांकित कर ली जाय।
- नक्शा के नीचे संकेत चिह्न सारणी अवश्य दी जाए।

2.4.3 नजरी नक्शा पर परिचर्चा

नक्शा को चार्ट पेपर पर उतारने के पश्चात् अभिप्रेरक दल ग्रामीणों के समक्ष तैयार नक्शे को प्रदर्शित करेंगे, तथा उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के निम्नलिखित बिन्दु हो सकते हैं :—

- गाँव में उपलब्ध आधारभूत भौतिक सुविधाओं की स्थिति गाँव का सामाजिक, आर्थिक स्वरूप एवं प्राकृतिक संसाधन।
- गाँव में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ एवं उनकी स्थिति।
- प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बालक-बालिकाओं की स्थिति।
- परिचर्चा पूर्णतः अनौपचारिक ढंग से हो। परिचर्चा टोलावार की जा सकती है। परिचर्चा में अभिवंचित वर्ग तथा महिलाओं की भागीदारी अवश्य सुनिश्चित की जाए।

2.4.4 सावधानियाँ

अभिप्रेरक की भूमिका सहायक के रूप में होनी चाहिए। कार्य आगे नहीं बढ़ने पर उत्प्रेरित करने का कार्य किया जाए।

नक्शा बनाने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा रखी जाने वाली बातों को ही रखा जाए। अभिप्रेरक / प्रेरक दल अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ें।

- नजरी नक्शा बनाने के पूर्व ही स्पष्ट उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी दी जाए, अन्यथा गलत तरह की धारणाएँ विकसित होने लगती है।
- पूर्व की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर ली जाए।

2.4.5 अनुलग्नक :

1. नजरी नक्शा का नमूना।
2. नजरी नक्शा में प्रयोग किए जाने वाले संकेत चिह्न।

नजरी नक्शा (रविदास टोला)

ग्राम - सुभई वैशाली (हाजीपुर)

दिनांक : 6-5-98

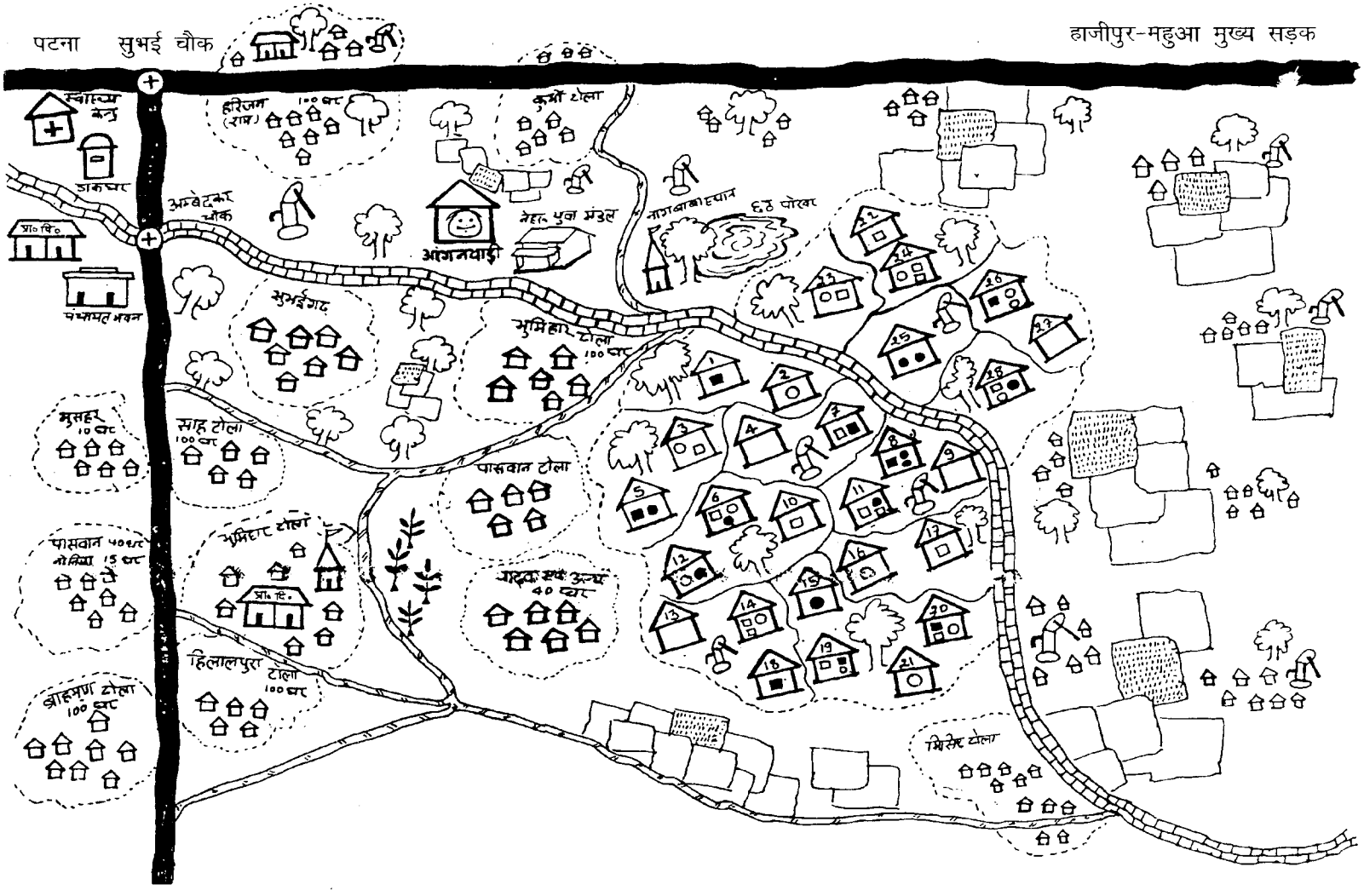

नजरी नक्शा-संकेत चिह्न

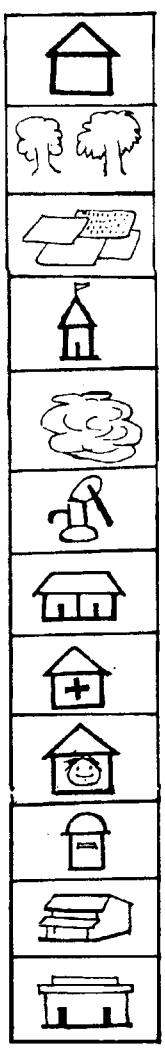

- घर / परिवार
- पेड़ पौधे
- खेत
- मन्दिर
- तालाब / पोखर
- चापा कल
- प्राथमिक विद्यालय
- स्वास्थ्य केन्द्र
- आंगनबाड़ी
- डाकघर
- युवा-मंडल / स्वयंसेवी संगठन
- पंचायत भवन

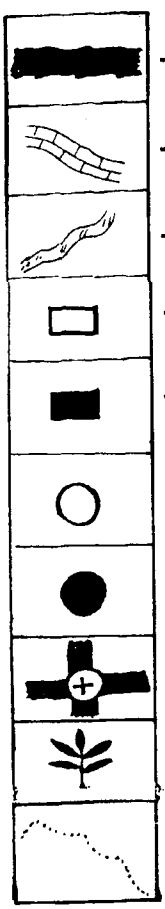

- पक्की सड़क
- ईंट-सड़क
- कच्ची सड़क
- अनामांकित बालिका
- नामांकित बालिका
- अनामांकित बालक
- नामांकित बालक
- चौराहा
- मकई
- सीमा-रेखा

5.5.3 घर-घर सर्वेक्षण

नजरी नक्शा निर्माण करने तथा उस पर परिचर्चा करने के पश्चात् 6–11 आयुवर्ग के बालक / बालिकाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के उद्देश्य से घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा, जिससे वास्तविक एवं तथ्यपरक आँकड़ों की संप्राप्ति होगी जो सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

3.1 उद्देश्य

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की वास्तविक संख्या ज्ञात करना।
- परिवारवार 6–11 आयुवर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थितियों का पता लगाना तथा बालक / बालिकाओं के विद्यालय नहीं जाने तथा कुछ दिन जाकर छोड़ देने के सही कारणों की जानकारी प्राप्त करना।
- विद्यालय भेजने के सम्बन्ध में माँ-बाप की अभिरुचि का पता लगाना।
- बच्चों के अभिभावकों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना।

3.2 सर्वेक्षण पूर्व तैयारी

सर्वेक्षण प्रारम्भ करने के पूर्वप्रेरक-दल के सभी सदस्यों का विधिवत तीन-दिवसीय प्रशिक्षण संबंधित अभिप्रेरक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे, ताकि निम्नलिखित तैयारियों में कोई कभी न रह जाए :—

- घर-घर सर्वेक्षण हेतु उपयोग में लाए जाने वाले प्रपत्र के मुख्य विशिष्टियों की जानकारी तथा प्रपत्र भरने की सही जानकारी।
- गाँव के सभी घरों की संख्या के अनुसार सर्वेक्षण–प्रपत्र की व्यवस्था।
- पेन्सिल, रबर आदि।
- नजरी नक्शा में दिए गए मकान संख्या के अनुसार सर्वेक्षणपूर्व मकानों पर क्रम-संख्या अंकित करना।
- सर्वे स्थान की क्रमबद्धता निश्चित करना।
- समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कार्य योजना का निर्माण करना।
- ग्रामवासियों को सर्वेक्षण के उद्देश्य के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी प्रदान करना।

3.3 विधि

घर-घर सम्पर्क एवं परिवार के मुखिया / माँ-बाप के साथ साक्षात्कार।

3.4 प्रक्रिया

सर्वप्रथम नजरी नक्शा के आधार पर प्रेरक दल सर्वेक्षण हेतु अपने-अपने क्षेत्रों का निर्धारण कर लेंगे। तत्पश्चात् चॉक या गेरु के माध्यम से नजरी नक्शा में अंकित मकान संख्या के अनुसार

मकानों पर क्रम संख्या लिख देंगे। जब यह कार्य पूरा हो जाए तो निर्धारित किए गए क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करेंगे। सर्वेक्षण के क्रम में प्रत्येक घर जाना आवश्यक है। परिवार के मुखिया या अन्य जानकार व्यक्ति से सर्वेक्षण प्रपत्र के मुख्य विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए जानकारी प्राप्त की जाए तथा उसे सर्वेक्षण-प्रपत्र पर अंकित कर लिया जाए। किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने से पहले सबको सर्वेक्षण के उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी दे दी जाए। अन्यथा साक्षात्कार के लिए ग्रामीणों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। सर्वेक्षण का कार्य बिल्कुल अनौपचारिक तरीके से होना चाहिए। हो सकता है कि इसलिए परिवार के मुखिया अपने बच्चे/बच्चियों के सम्बन्ध में सही जानकारी देने के लिए कतराते हों; उस स्थिति में बातचीत के माध्यम से उन्हें उत्प्रेरित किया जाए। यह स्थिति खासकर अभिवंचित वर्ग के परिवारों में अधिक हो सकती है।

सही आंकड़ों की प्राप्ति के लिए महिलाओं की भागीदारी अवश्य ली जाए। सर्वेक्षण में महिलाओं की भागीदारी लेने से बालिकाओं की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जब सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाए तो प्रेरक दल प्राप्त आँकड़ों को एकत्र कर गोश्वारा निकालेंगे। **गोश्वारा** निकालने का कार्य काफी सावधानी के साथ करने की आवश्यकता है। अभिप्रेरक दल इस कार्य के लिए प्रेरकों की सहायता करेंगे तथा उसे निर्धारित प्रपत्र में भरवाएँगे।

3.5 सामग्री

सर्वेक्षण प्रपत्र आवश्यकतानुसार, गोश्वारा-प्रपत्र, पेन्सिल, रबर, सादा कागज, स्केल, कलम इत्यादि।

3.6 सावधानियाँ

- प्रपत्र सम्बन्धी सभी प्रमुख विशिष्टियों की सही जानकारी कर लेनी चाहिए, अन्यथा अपेक्षित सूचनाओं का संग्रह नहीं हो पाएगा।
- सर्वेक्षण कहीं एक जगह बैठकर नहीं किया जाए अन्यथा यह सर्वेक्षण परम्परागत सर्वेक्षण की भाँति हो जाएगा।
- स्थाई रूप से रहने वाले प्रत्येक बालक/बालिका का नाम दर्ज करना है जैसे– घरेलू नौकर, भाई-भतीजा, भाँजा-भाँजी आदि।
- बालकों के मुकाबले बालिकाओं का अनुपात कम-से-कम 100 : 90 न मिलने पर दुबारा सर्वे किया जाए। अगर दुबारा सर्वे करने के बाद भी अनुपात ऐसा ही रहता है तो उसके कारणों में जाने की कोशिश करें।
- अनुसूचित–जनजाति क्षेत्र में सामान्यतः बालकों के तुलना में बालिकाओं की संख्या अधिक होती है।
- कितने लड़के व कितनी लड़कियाँ हैं? ऐसा ही प्रश्न सर्वे के समय पूछा जाए, न कि यह पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं?
- यथा संभव परिवार के मुखिया से बात जरुर करें।

- महिलाओं से वार्ता महिलाओं द्वारा की जाए तो अच्छा होगा। हर संभव प्रयत्न इस बात का रहे कि महिलाओं तक सर्वेक्षण के उद्देश्य की सूचना पहुँचे और वे विमर्श में भाग लें।
- सर्वेक्षण के क्रम में शिक्षकों की भी अवश्य साथ लिया जाए।
- घर बन्द पाए जाने की स्थिति में दुबारा-तिबारा जाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हो।
- सर्वेक्षण के क्रम में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से दुर्बल/विकलांग बच्चों का भी सर्वेक्षण किया जाए; ताकि शिक्षा की मुख्य धारा में ऐसे बच्चों को शामिल किया जा सके।
- यदि आप सर्वेक्षण के क्रम में प्राप्त जानकारियों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में अगल-बगल के जानकार व्यक्तियों से पूछताछ करके अपनी शंकाओं को दूर करें।
- सर्वेक्षण-प्रपत्र पर हमेशा पेन्सिल का ही प्रयोग किया जाए।

5.5.4 शैक्षणिक तस्वीर

नजरी-नक्शा, संसाधन-नक्शा तथा सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों को इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करने पर गाँव के प्राथमिक शिक्षा की एक तस्वीर उभर कर आती है; जिसमें सभी 6-11 आयु वर्ग के बच्चों की स्थिति का पता चलता है। गाँव की शैक्षणिक कार्ययोजना बनाने के लिए शैक्षणिक तस्वीर एक महत्वपूर्ण चरण है; जिसके द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर हमें पता चलता है कि कहाँ हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। मुख्यतः यह घर-घर सर्वेक्षण करने के पश्चात् सर्वेक्षण के आधार पर किए गए गोश्वारा का अंश है।

4.1 उद्देश्य

गाँव में रहने वाले 6–11 आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों की शैक्षणिक स्थिति का पता लगाना। किस परिवार के कितने लड़के-लड़कियाँ विद्यालय नहीं जा रहे हैं तथा जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, का पता लगाना।

4.2 प्रक्रिया

परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र से जिस परिवार में 6–11 आयु वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें छाँट लिया जाए। तत्पश्चात् शैक्षणिक तस्वीर के प्रपत्र में घर का नम्बर, उस परिवार के मुखिया का नाम, बच्चों का नाम, तथा उनकी शैक्षणिक स्थिति (पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तथा बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं) को भर दिया जाए। इस प्रकार गाँव के सभी बच्चों की वास्तविक शैक्षणिक-स्थिति का पता चल जाएगा।

4.3 सावधानियाँ

यदि एक घर में एक से ज्यादा परिवार हैं तो उसे अलग-अलग लिखा जाए। घर का नम्बर स्पष्ट रूप से लिखा जाए तथा प्रपत्र भरने के पश्चात उसे पुनः देख लिया जाए। यदि 6 वर्ष से कम उम्र तथा 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे कक्षा I से V में पढ़ रहे हैं तो उसे छोड़ा न जाए।

शैक्षणिक तस्वीर

गांव : सिमा **प्रखण्ड : चतरा** **जिला : चतरा** **राज्य : बिहार**

घर संख्या	परिवार के मुख्या का नाम	बच्चों के नाम	लिंग		शैक्षणिक स्थिति		
			बालक	बालिका	स्कूल में	छीजन	कभी स्कूल नहीं गया / गयी
1.	रमेश राम	बबीता	1	(2)	(1)	2	3
	"	उमेश	(1)	2	(1)	2	3
	"	सबीता	1	2	1	2	(3)
2.	पूना राम	सारो	1	(2)	1	(2)	3
	"	संजय	(1)	2	(1)	2	3
	"	प्रदीप	(1)	2	(1)	2	3
	"	पार्वती	1	(2)	(1)	2	3
	"	सुनील	(1)	2	(1)	2	3
3.	नन्हक राम	राजेन्द्र	(1)	2	(1)	2	3
	"	सुरेन्द्र	(1)	2	(1)	2	3
4.	श्यामलाल (मोची)	राजकुमार	(1)	2	1	2	3
	"	ललीता	1	(2)	1	2	(3)
	"	रीना	1	(2)	(1)	2	3
	"	बबन	(1)	2	(1)	2	3
5.	रामू (मोची)	यशोदा	1	(2)	(1)	2	3
	"	गिरजा	1	(2)	(1)	2	3
6.	रामेश्वर (मोची)	संजय	(1)	2	(1)	2	3
	"	उर्मीला	1	(2)	1	2	(3)
7.	महेन्द्र	प्रकाश	(1)	2	(1)	2	3
	"	सुचीता	1	2	(1)	2	3
	"	लक्ष्मण	(1)	2	1	(2)	3
	"	जगजीवन	(1)	2	1	2	(3)

नोट : क्रमशः इसी प्रकार किसी भी गाँव के सभी परिवारों के सभी बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का आँकलन प्रस्तुत किया जा सकता है।

5.5.5 समय रेखा (Time Line)

'समय रेखा' गाँव के इतिहास को जानने की एक प्रक्रिया है। परिवर्तन का क्रम कैसा रहा, खासकर शैक्षणिक विकास के महत्व को दर्शाने, एवं उसका विश्लेषण करने की दृष्टि से इसका अपना अलग ही महत्व है।

5.1 उद्देश्य

सम्बन्धित गाँव में शिक्षा का क्रमिक विकास कैसे हुआ? के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।

प्राप्त जानकारी के आधार पर शैक्षणिक समस्याओं से जुड़े पहलूओं के प्रति ग्रामीणों का ध्यान आकृष्ट करना तथा उन्हें संवेदनशील बनाना।

संतुलित परिचर्चा के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना।

5.2 विधि

गाँव के बुजुर्गों एवं जानकार लोगों से चर्चा एवं अभ्यास।

5.3 प्रक्रिया

गाँव के बुजुर्गों एवं जानकार लोगों से मिलकर समय रेखा के उद्देश्य के बारे में बतलाएँ एवं उनसे बातें करें। जो भी सूचनाएँ चाहिए उससे सम्बन्धित सूची तैयार करें, इस क्रम में गाँव में निवास करने वाले सेवानिवृत शिक्षकों, सम्बंधित प्रा० वि० के शिक्षक/शिक्षिका, आँगनबाड़ी सेविका, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक/अनुदेशिका, मुखिया, संरपंच एवं अन्य प्रमुख व्यक्तियों एवं कार्यरत सरकारी कर्मचारियों से भी सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार सभी वांछित सूचनाओं की एकत्र करने के लिए समय को तीन भागों में बाँट लें– वर्तमान, 10 साल पहले, 20 साल पहले, और इसी के परिप्रेक्ष में सवाल करें। लोगों से गाँव में विकास खासकर शिक्षा के बारे में पूछना :–

- प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति थी?
- 20 साल पहले विद्यालय था तो कैसा था?
- दस साल पहले कैसा था
- आज क्या स्थिति है?, आदि।

समय रेखा के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है, वे निम्न हो सकते हैं :—

- प्राथमिक शिक्षा (विद्यालय की स्थिति)।
- अन्य शैक्षणिक संस्था जैसे अनौपचारिक केन्द्र, प्राइवेट स्कूल, आँगनबाड़ी, वयस्क शिक्षण केन्द्र आदि।

- 6–11 वर्ष के बालक जो विद्यालय जाते हैं, उनकी स्थिति एवं संख्या का अनुपात।
- 6–11 वर्ष की बालिका जो विद्यालय जाती हैं, उनकी स्थिति एवं संख्या का अनुपात।
- 6–11 वर्ष के बालक-बालिका जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनकी स्थिति एवं संख्या का अनुपात।
- विद्यालय में पेयजल की स्थिति।
- विद्यालय में शौचालय की स्थिति।
- विद्यालय में खेल के मैदान की स्थिति।

उदाहरणस्वरूप, अगले पृष्ठ पर समय-रेखा के माध्यम से एक गाँव विशेष की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति की दर्शाया गया है।

समय रेखा

6.5.98

गाँव - सुभईगढ़
टोला - नजीराबाद
प्रखड - हाजीपुर
जिला - वैशाली

(शैक्षिक)

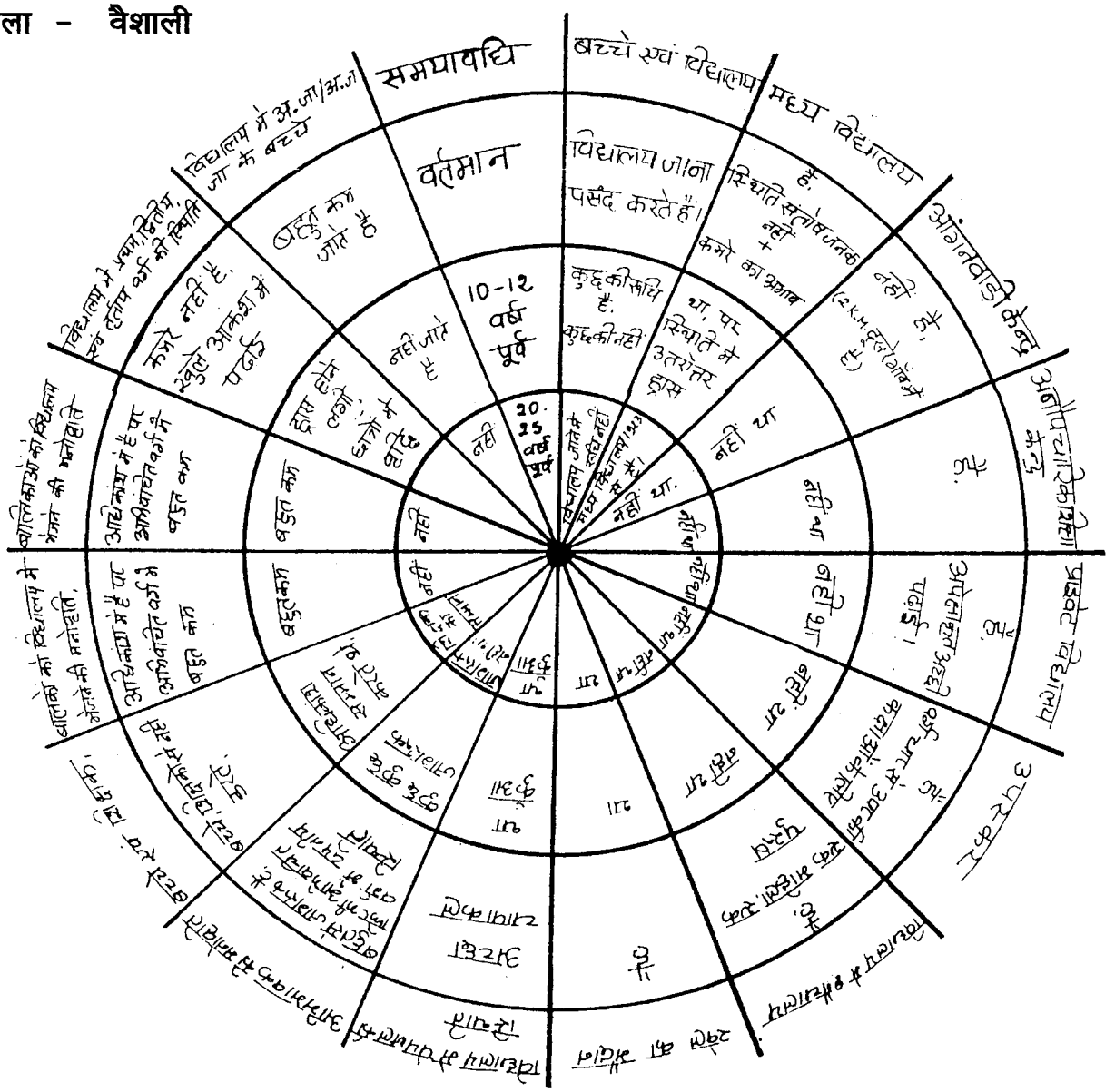

समय रेखा (प्रवाह विश्लेषण)

5.5.6 उत्तरदायित्व चार्ट या गतिविधि चार्ट

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के परिपेक्ष्य में 6–11 आयु वर्ग के विद्यालय जाने वाले बालक-बालिकाओं, विद्यालय नहीं जाने वाले बालक-बालिकाओं के दिनभर की गतिविधियों को जानना, तथा उसका विश्लेषण करना ही उत्तरदायित्व चार्ट या गतिविधि चार्ट है, जिससे काम-काजी बच्चों की स्थिति या घरेलू कार्यों में उनकी व्यस्तता के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है।

6.1 उद्देश्य

- विद्यालय जाने वाले तथा विद्यालय नहीं जाने वाले बालक-बालिकाओं की दिनभर की गतिविधियाँ जानना।
- दिन भर की गतिविधियों में लगने वाले समय की जानकारी लेना।
- किए गए गतिविधियों में होने वाली कठिनाईयों को जानना तथा,
- समाज एवं अभिभावकों को बच्चों के दिनभर की गतिविधियों में लगाए जा रहे समय के सही उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाना।

6.2 विधि

खेल, प्रश्नोत्तरी, बाल परिचर्चा।

6.3 प्रक्रिया

प्रेरक दल सर्वप्रथम विद्यालय में बालक-बालिकाओं का अलग-अलग समूह बनाकर उनके दिन भर की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात उनसे गतिविधियों में लगने वाले समय की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए माचिस को तिल्लियों या छोटी-छोटी लकड़ियों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले प्रेरक दल बच्चों को समझा देंगे कि अधिकतम समय के लिए 10 तिल्ली तथा न्यूनतम समय के लिए 1 तिल्ली निर्धारित है तथा वे उसी के आधार पर समय अंकित करें। जैसे– किसी बच्चे ने उस गतिविधि का नाम बताया है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा समय लगता है 10 तिलियाँ, उससे कम समय लगने वाली गतिविधि के लिए क्रमशः 8 या 6 तीलियाँ, उससे कम समय लगने वाले के लिए 3 या 4 तिलियाँ तथा सबसे कम समय लगने वाली गतिविधि के लिए 2 या 1 तीली रख दें। इसी प्रकार सभी बच्चों के लिए समय का निर्धारण करते हुए दिए गए फार्मेट में अंकित कर लें।

उपर्युक्त सभी प्रक्रिया को बालकों के साथ अलग तथा बालिकाओं के साथ अलग किया जाए। साथ ही विद्यालय नहीं जाने वाले बालक-बालिकाओं के साथ भी यह प्रक्रिया दुहराई जाए तथा उसे भी अंकित कर लिया जाए। इसके बाद बच्चों द्वारा बताई गई गतिविधियों में होने वाली

कठिनाइयों को भी 1 से 10 तक तीली के माध्यम से दर्शाने को कहें। इसे भी कागज पर नोट कर लिया जाए।

अंत में, उपर्युक्त आँकड़ों के माध्यम से आप अभिभावकों को बता सकेंगे कि किस गतिविधि में बच्चों को जरुरत से ज्यादा समय लगता है, इसके लिए अभिभावक कोई ऐसी तरकीब सोच सकते हैं; जिससे सम्बन्धित गतिविधि में कम से कम समय लगे और बच्चे घरेलू काम-काज या अन्य काम-काज के अतिरिक्त विद्यालय भी जा सकें।

6.4 सामग्री

लड़की के टुकड़े, माचिस की तिल्ली, चॉक, कागज, कलम आदि।

6.5 सावधानियाँ

यदि बच्चों को माचिस के तिल्ली के माध्यम से समय अंकित करने में परेशानी हो रही हो तो प्रेरक दल उदाहरणस्वरूप कुछ गतिविधियों में लगनेवाले समय को तिल्ली के माध्यम से स्वयं अंकित कर बच्चों को बताएँ, ताकि बच्चों को समय अंकित करने में आगे कोई परेशानी न हो।

उत्तरदायित्व चार्ट (दैनिक – विश्लेषण)

गाँव – सिमा प्रखण्ड – चतरा जिला – चतरा

तिथि :15.11.1995

	स्कूल जाने वाले बच्चे		स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे	
(क) लगाया गया समय	बालक–10	बालिका–6	बालक–6	बालिका–8
1. दाँत साफ करना	◯ 7 ○ 3	◯ 4 ○ 2	◯ 1 ◯ 3 ◦ 2	◯ 6 ◦ 2
2. स्नान करना	◯ 7 ◦ 3	◯ 1 ○ 4 ◦ 1	◯ 2 ○ 3 ◦ 1	◯ 4 ○ 3 ◦ 1
3. बर्त्तन साफ करना		◯ 5 ◦ 1		◯ 8
4. नास्ता तैयार करना				◦ 4
5. नास्ता करना	◯ 6 ◦ 4	◯ 4 ◦ 2	◯ 3 ○ 2 ◦ 1	◯ 4 ○ 2 ◦ 2
6. पानी लाना		◯ 2	◯ 4	◯ 8
7. स्कूल में पढ़ने के लिए जाना	◯ 10	◯ 6		
8. स्वध्याय करना (घर में अपने से पढ़ना)	○ 10	○ 1 5		
9. दिन को भोजन तैयार करना				◯ 4
10. मवेशी चराना			◯ 6	◯ 2

संकेत चिह्न — ज्यादा समय के लिए : ◯

कम समय के लिए : ○

थोड़े समय के लिए : ◦

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC. No. D-9893
Date 27-7-98

उत्तरदायित्व चार्ट (दैनिक – विश्लेषण)

गाँव – सिमा	प्रखण्ड – चतरा		जिला – चतरा	
तिथि : 15.11.1995				
	स्कूल जाने वाले बच्चे		स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे	
(ख) कठिनाइयाँ	बालक–10	बालिका–6	बालक–6	बालिका–8
1. दाँत साफ करना	◯ ○ 4 6	◯ ○ 3 3	◯ ◯ 5 1	◯ ○ 6 2
2. स्नान करना	○ 10	○ 6	○ 6	○ 8
3. बर्त्तन साफ करना		◯ 6	◯ 3	◯ 8
4. नास्ता तैयार करना		◯ 2		◯ 8
5. नास्ता करना	○ 10	○ 6	○ 6	○ 8
6. पानी लाना	◯ 6	◯ 3	◯ 6	◯ 8
7. स्कूल में पढ़ने के लिए जाना	◯	◯		
8. स्वध्याय करना (घर में अपने से पढ़ना)	◯ ○ 8 2	◯ 6		
9. दिन को भोजन तैयार करना				◯ 8
10. मवेशी चराना			◯ 6	◯ 2

संकेत चिह्न — अधिक कठिन के लिए : ◯

कम कठिन के लिए : ◯

थोड़ा कठिन के लिए : ○

5.5.7 मौसमी विश्लेषण

गाँव में उपजाई जाने वाली फसलें, उसकी बोआई, कटाई तथा दौनी करने का समय, गाँव में होने वाले मौसमी फलों तथा अस्थाई रूप से अभिभावकों के गाँव से पलायन करने के महीनों / दिनों की जानकारी प्राप्त करना तथा बच्चों पर इसके होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना, मौसमी विश्लेषण है।

7.1 उद्देश्य

- गाँव के कृषि चक्र की जानकारी।
- गाँव से अस्थाई पलायन करने वाले अभिभावकों तथा उसके महीनों / दिनों की जानकारी।
- बच्चों द्वारा खेती के काम में कितना समय लगता है।

7.2 विधि

ग्रामीण समूह के साथ परिचर्चा / चित्रांकन।

7.3 प्रक्रिया

सर्वप्रथम ग्रामीणों को मौसमी विश्लेषण तथा उसके उद्देश्यों की जानकारी दी जाए। उसके बाद गाँव में होने वाले विभिन्न प्रकार की फसलों एवं फलों की जानकारी ली जाए तथा उन फसलों की बोआई, कटाई तथा दौनी के समय की भी जानकारी ली जाए। सभी फसलों के लिए अलग-अलग चिन्ह् बनाया जाए तथा उसे मासिक चार्ट (जनवरी, फरवरी, मार्च आदि) पर उतार लें। इसी प्रकार आगे कॉलम में दिनों की संख्या लिखी जाए जितना गाँव में काम मिलता है। इसके बाद लोगों से पूछा जाए कि किन-किन महीनों में ज्यादातर बच्चे खेती के कार्यों में लगे रहते हैं। बताए गए महीनों को नोट कर लें। बच्चों के कई कार्य हो सकते हैं जैसे– खेती का कार्य, अभिभावकों के खेती-कार्य में जाने के कारण घर के छोटे बच्चों को संभालने का कार्य या मवेशी चराना आदि। इस तरह कितने बच्चे विद्यालय छोड़कर खेती कार्य में माँ-बाप की सहायता करते हैं। खेती-कार्य में लगाये जाने वाले दिनों की संख्या तथा अंतिम कॉलम में कितने बच्चे अपने माँ-बाप के साथ पलायन कर जाते हैं, की संख्या अंकित की जानी चाहिए।

इस प्रक्रिया को जमीन पर पृष्ठ संख्या 60 पर दर्शाए गए खाका के अनुरूप चॉक, रंगोली, खल्ली या चूना के माध्यम से कराया जाना चाहिए। इस अभ्यास के दौरान ग्रामीणों से परिचर्चा होती रहे ताकि प्रक्रिया उबाऊ नहीं बने।

जब प्रक्रिया पूरी हो जाय इसके उपरान्त ही प्रेरक दल जमीन पर बनाए गए खाका के अनुरूप चार्ट पेपर पर अवश्य उतार लेंगे।

चार्ट पेपर पर उतारने के पश्चात ग्रामीणों के साथ सम्बन्धित चार्ट के संदर्भ में उभरे तथ्यों के सम्बन्ध में चर्चा की जा सकती है।

7.4 सामग्री

चॉक, चार्ट, पेपर, कागज, कलम, गोली इत्यादि।

7.5 सावधानी

जिन महीनों में अधिकांश बच्चे खेत में काम करते हैं, उन महीनों में अधिकांश बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं। यदि किसी महीने में अधिकांश बच्चे विद्यालय छोड़ते हैं, साथ ही वे खेत के कार्यों में भी नहीं लगते हैं तो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उन महीनों में बच्चे कहाँ रहते हैं। हो सकता है कि खास पर्व हो या कोई मौसमी बीमारी हो आदि। इसके लिए अलग से सूचनाएँ एकत्रित की जाए।

गाँव छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुमान के आधार पर ही पता चलेगा। यदि गाँव वालों में असहमति हो तो उस पर बहस कराकर एक सहमति पर पहुँचे। गाँव छोड़ने वाले व्यक्ति दो प्रकार के हो सकते हैं :—

1. सिर्फ पुरुष जो अपनी पत्नी और बच्चों को गाँव में छोड़कर जाते हैं या,
2. पूरा परिवार गाँव छोड़कर जाता है।

दोनों प्रकार के ही व्यक्तियों के बारे में सूचना एकत्र की जाए।

मौसमी विश्लेषण

(कृषि चक्र आधारित)

ग्राम - सुभई
जिला - हाजीपुर

माह	गेहूँ	धान	★ केला	सब्जी	मूंग	कितने बच्चे (6-11 वर्ष) स्कूल छोड़कर खेती कार्य में माँ-बाप का सहायता करते हैं ।	कितने बच्चे अपने माँ-बाप के साथ पलायन कर जाते हैं ।
जनवरी माघ	सिंचाई	सिंचाई	बोआई, सिंचाई, कटाई		कटाई		
फरवरी फाल्गुन			बोआई, सिंचाई, कटाई	कटाई	कटाई		
मार्च चैत्र			बोआई, सिंचाई, कटाई				
अप्रैल बैशाख	कटाई	कटाई	बोआई, सिंचाई, कटाई	कटाई	कटाई		
मई माघ							
जून आसाढ़		बोआई			कटाई		
जुलाई सावन		बोआई					
अगस्त भादो							
सितम्बर अश्विन							
अक्टूबर कार्तिक							
नवम्बर अगहन	बोआई	कटाई		बोआई	बोआई		
दिसम्बर पूस	बोआई	कटाई		बोआई	बोआई		

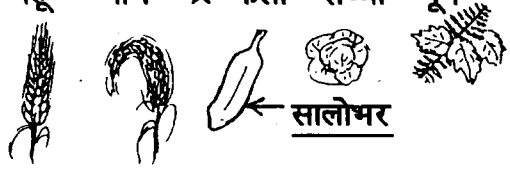

संकेत चिह्न :- बोआई सिंचाई कटाई

गाँव :- सुभई
प्रखंड :- हाजीपुर
जिला :- वैशाली
राज्य :- बिहार

5.5.8 विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करना

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से सम्बन्धित गाँव में विद्यालयों से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी अवश्य ले ली जाए। अच्छा होगा कि विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विद्यालय परिसर में जाएँ, विद्यालय का अवलोकन करें, शिक्षक से बात-चीत करें तथा ग्रामीणों से भी विद्यालय से सम्बन्धित निम्न सूचनाओं के बारे में राय-मश्विरा कर लें :—

- विद्यालय में उपलब्ध भौतिक सुविधा।
- शिक्षकों की संख्या।
- विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण सामग्रियाँ यथा—ब्लैकबोर्ड, चॉक, डस्टर बैठने की व्यवस्था—कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बक्से इत्यादि।

  हो सकता है कि विद्यालय के संचालन के लिए स्थानीय स्तर से भी मदद मिलती हो।

8.1 उद्देश्य

- स्थानीय विद्यालय के बारे में विभिन्न सूचनाओं एवं जानकारियों का संकलन करना।
- विद्यालय की समस्याओं के प्रति शिक्षकों एवं समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- **'विद्यालय सुधार योजना'** तैयार कराने हेतु, प्रधान शिक्षक को अभिप्रेरित करना तथा योजना का निर्माण।

8.2 प्रक्रिया

इसके पश्चात सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा अन्य सहायक शिक्षकों के साथ बैठकर विद्यालय संबंधी समस्याओं को अंकित करें, यथा—बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल में उपलब्ध सुविधाएँ इत्यादि।

इसके पश्चात प्राप्त समस्याओं को आधार मानते हुए तथा ग्राम शिक्षा रजिस्टर में उपलब्ध समस्याओं को जोड़ते हुए समाधान हेतु विमर्श किए जाएँ और उनके विचार लिए जाएँ।

विद्यालय के प्रति ग्रामीणों की क्या सोच है? उस सम्बन्ध में भी अवश्य चर्चा की जाए और एक साझी समझ विकसित की जाए। यह सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का वह पड़ाव होगा। जहाँ समुदाय की सोच एवं शिक्षक की सोच को सकारात्मक करने में मदद मिलेगी और दोनों के बीच एक आवश्यक सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा। यही नहीं इस अभ्यास के माध्यम से सम्बन्धित विद्यालय के शिक्षकों/प्रधान शिक्षक को **विद्यालय सुधार योजना** के निर्माण के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।

विद्यालय सुधार योजना का निर्माण

बिहार शिक्षा परियोजना की दृष्टि में ''विद्यालय सुधार योजना'' वस्तुतः विद्यालय के प्रधान शिक्षक / शिक्षकों की पहल से निर्मित होनेवाली वह योजना होगी जो आगे चलकर ग्राम शिक्षा योजना में समाहित हो जाएगी। अतएव सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रम में सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से यह अपेक्षा है कि ''ग्रामीणों के साथ बैठक एवं परिचर्चा'' के दौरान वे इस योजना से सम्बंधित निम्न प्रमुख बातों / मुद्दों को रखेंगे :—

- **विद्यालय की भौतिक स्थिति में सुधार के कार्य, जैसे : पीने के पानी की सुविधा, शौचालय, भवन का रख-रखाव, पुस्तकालय, बुक-बैंक इत्यादि की स्थापना सम्बंधी कार्य / प्रस्ताव।**
- **विद्यालय की वर्त्तमान शैक्षणिक स्थिति में सुधार के कार्य, जैसे : अभिवंचित वर्गों के बच्चों का नामांकन, सभी नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, विशेष पाठ्य चर्या / कक्षाओं का आयोजन तथा शैक्षणिक उन्नयन सम्बंधी अन्य सभी कार्य / प्रस्ताव।**

8.3 सामग्री

विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने का प्रपत्र, पेन्सिल, कलम, आदि।

8.4 सावधानी

- शिक्षकों के साथ बातचीत के क्रम में अपेक्षित आदर एवं सम्मान प्रदर्शित करें।
- आप सभी के व्यवहार से कदापि यह न झलके कि विद्यालय की वर्तमान दयनीय स्थिति के लिए सीधे रूप में शिक्षक दोषी हैं।
- शिक्षकों के साथ सारी बातचीत आपसी सौहार्द एवं सहज वातावरण में ही हो।
- समुदाय के स्तर से भी यदि बातचीत के क्रम में शिक्षकों के प्रति यथोचित सम्मान का अभाव झलके तो इसकी तरफ अवश्य ही ध्यान दिलाया जाना चाहिए।

5.5.9 आँकड़ों / तथ्यों का समेकन / विश्लेषण तथा समस्याओं की पहचान

इसके अन्तर्गत सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों यथा नजरी नक्शा, अनौपचारिक चर्चा, सर्वेक्षण, उत्तरदायित्व चार्ट, समय रेखा, विद्यालय सुधार योजना आदि से प्राप्त तथ्यों, आँकड़ों तथा समस्याओं का विश्लेषण करना तथा उसके आधार पर योजना का प्रारुप तैयार किया जाता है।

9.1 उद्देश्य

- ग्राम शिक्षा योजना बनाने के पूर्व की तैयारी करना।
- ग्रामीण अपने गाँव से संबंधित आँकड़ों एवं तथ्यों का स्वयं विश्लेषण कर सकेंगे।
- योजना का प्रारुप बनाना तथा अब तक की गई गतिविधियों के आधार पर **ग्राम शिक्षा रजिस्टर** के रुप में सार संक्षेपण तैयार करना।

9.2 प्रक्रिया

प्रेरक दल अभिप्रेरकों की सहायता से सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के दौरान इकट्ठा किए गए आँकड़ों को एक जगह एकत्र करेंगे। एकत्र करने के पश्चात् सभी प्रकार के आँकड़ों का समेकन करते हुए विश्लेषण कार्य प्रारम्भ करेंगे। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जा सकती है :—

- सर्वप्रथम घर-घर सर्वेक्षण के दौरान किए गए गोश्वारा से उभरे शैक्षणिक तस्वीर की जाँच कर लें।
- नजरी नक्शा एवं शैक्षणिक तस्वीर के बीच मिलान करके त्रुटियों का समाधान कर लिया जाए।

उपर्युक्त कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित गाँव से कितने बालक-बालिकाएँ स्कूल नहीं जाती हैं तथा जाकर छोड़ चुकी हैं, ज्ञात कर लिया जाए। इस प्रकार नहीं जाने के कारणों को भी एक जगह सूचीबद्ध कर लें। आँकड़ों के इस विश्लेषण से ग्राम शिक्षा योजना निर्माण के क्रम में शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव हेतु योजना निर्माण करने में मदद मिलेगी।

क्रमबद्ध ढंग से नजरी नक्शा, समय रेखा, उत्तरदायित्व चार्ट, मौसमी विश्लेषण, तथा विद्यालयों से प्राप्त सूचनाओं को भी बिन्दुवार विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण के निम्न बिन्दु हो सकते हैं :—

- किस टोला से बच्चे बहुत कम विद्यालय आते हैं, उसे सूचीबद्ध करना।
- विद्यालय नहीं आने के कारणों को रेखांकित करना एवं सूची तैयार करना।
- विद्यालय की भौतिक स्थिति एवं शैक्षिक वातावरण से जुड़े पहलुओं को रेखांकित करना।

इस तरह आँकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सभी समस्याओं की पहचान कर ली जाए; ताकि ऐसे प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों को ग्रामवासियों के बीच रखकर ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण किया जा सके।

आँकड़ों एवं प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना एक वैज्ञानिक पद्धति है। क्रमवार विश्लेषण करने से स्वतः बहुत अधिक तथ्य उभरकर सामने आएँगे।

9.3 सावधानियाँ

सारी सूचनाओं एवं समस्याओं का विश्लेषण किया जाए ताकि किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष की योजना बनकर न रह जाए।

5.5.10 ग्रामीणों के साथ बैठक एवं परिचर्चा

अब तक हम लोगों ने सम्बन्धित गाँव के संदर्भ में विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से काफी अधिक सूचनाएँ इकट्ठा कर ली है। प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि करना इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य होगा।

10.1 उद्देश्य

- ग्रामवासियों की सहभागिता से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अवरोधों तथा समस्याओं का पता लगाना तथा उनका हल ढूँढ़ना।
- चर्चा के दौरान ग्रामवासियों को समस्या विशेष पर ध्यान केन्द्रित करना।
- ग्रामीणों को अपने विचार प्रकट करने तथा बोलने के लिए अवसर प्रदान करना।
- समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करना।
- विद्यालय सुधार योजना पर चर्चा एवं ग्राम शिक्षा योजना के बारे में सामूहिक सहभागिता से साझी समझ का विकास करना।

10.2 विधि

अनौपचारिक बातचीत। परिचर्चा, बड़े समूह में बैठक। 5–6 व्यक्तियों के छोटे समूह में बैठक।

10.3 प्रक्रिया

गाँव के सार्वजनिक स्थल पर या सुविधानुसार टोला-स्तर पर बैठक आयोजित किया जाए; इस गतिविधि में अभिप्रेरक की मुख्य भूमिका होगी। प्रेरक दल के सदस्य परिचर्चा में अभिप्रेरकों की सहायता करेंगे। बैठक आयोजन के पूर्व ग्रामीणों को सूचना देना आवश्यक होगा, ताकि इस बैठक में परिचर्चा हेतु अधिक लोग भाग ले सकें। निर्धारित स्थल पर ग्रामवासी पहुँचने के पश्चात् अभिप्रेरक दल का कोई एक सदस्य बातचीत प्रारम्भ करने हेतु माहौल का निर्माण करे। किसी अभियान-गीत को गाकर माहौल का निर्माण किया जा सकता है।

इसके पश्चात् परिचर्चा की पृष्ठभूमि में सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के दौरान तैयार नक्शे, प्राप्त आँकड़ों से उभरे शैक्षणिक तस्वीर, समय-रेखा, मौसमी विश्लेषण आदि अभ्यास के दौरान उभरे चित्रों को परिचर्चा का आधार बनाना होगा। बारी-बारी से एक-एक चार्ट को ग्रामीणों के समक्ष रखा जाए तथा चार्ट से जुड़े तथ्यों को केन्द्रित करते हुए परिचर्चा की जाए। इस क्रम में अभिप्रेरक / प्रेरक दल को चाहिए कि वे नक्शा तैयार करने तथा अन्य प्रक्रियाओं के क्रम में प्राप्त सूचनाओं की याद लोगों को दिलाते रहें। अनौपचारिक परिचर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रश्नों को उठाया जा सकता है :—

- बालक / बालिकाओं के स्कूल नहीं जाने के क्या कारण हो सकते हैं।

- क्या आप सभी स्कूल नहीं जाने के कारणों से सहमत हैं?
- आपके क्या सुझाव हैं कि आपके गाँव/टोले के 6--11 आयुवर्ग के सभी बालक/बालिकायें स्कूल जाने लगें।
- आपके गाँव में पढ़ाई की जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं उनके बारे में आपके क्या ख्याल हैं और अतिरिक्त कैसी सुविधाएँ आप चाहते हैं?
- क्या आप महसूस करते हैं कि विद्यालय का वर्तमान समय (खुलने तथा बन्द होने का) सही है या उसमें परिवर्तन होना चाहिए?
- अभी किस महीने में बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं? क्या यह सही वक्त है या इसमें आप परिवर्तन चाहते हैं?
- गाँव के विद्यालय के शिक्षक के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? क्या वे नियमित रूप से समय पर विद्यालय आते हैं? क्या वे ठीक से पढ़ाते हैं?
- हो सकता है परिचर्चा के दौरान ग्रामवासियों से यदि नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ मिलें उस स्थिति में उनके द्वारा रखे गए विचारों को ग्रामवासियों के द्वारा ही निदान कराया जाए।
- सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर एवं अधिकतम उपयोग। अतः परिचर्चा के दौरान उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी बातचीत की जाय एवं ग्रामवासियों से सुझाव प्राप्त किए जाएँ।
- प्रत्येक विषय की चर्चा के क्रम में समूह की सहभागिता से साझी समझ का विकास किया जाए।
- जाँच तथा ग्रामवासियों के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट कर लिया जाए। इससे ग्रामवासियों से प्राप्त सुझावों को ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

10.4 सामग्री

नजरी नक्शा, शैक्षिक तस्वीर, समय-रेखा, मौसमी विश्लेषण चार्ट, इत्यादि, इसके अलावे अलग से चार्ट पेपर, मार्कर स्केच पेन, सेलोटेप इत्यादि।

10.5 सावधानियाँ

- परिचर्चा में अधिक भाषणबाजी न हो।
- ग्रामवासियों के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी अभिप्रेरक/प्रेरक दल की ओर से न हो।
- परिचर्चा एक दो व्यक्ति के अन्दर ही केन्द्रित नहीं रहे, बल्कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

- अभिवंचित वर्ग / महिलाओं से अवश्य विचार लिए जाएँ तथा उन्हें भी बोलने के लिए अवसर दिए जाएँ।
- अनावश्यक तर्क / वितर्क से बचा जाय।
- इस चर्चा के दौरान समस्या समाधान हेतु कोई आश्वासन नहीं दिया जाए बल्कि, समस्या समाधान हेतु ग्रामवासियों को ही हल ढूँढने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इस तरह की परिचर्चाओं में ग्रामीणों की आकांक्षाएँ बहुत अधिक बढ़ने लगती हैं। अतः कोशिश होनी चाहिए कि मात्र वित्तरहित समस्या समाधान के उपाय भी ग्रामवासियों की ओर से अधिक उभर कर आए। शिक्षक के कार्य पद्धति के सम्बन्ध में समुदाय के बीच असंतोष है, अतः एक-दूसरे के बीच मधुर सम्बन्ध बनाकर ही समस्या का समाधान किया जा सकता है; उन पर नियंत्रण रखकर नहीं। इसकी समझ विकसित करने की आवश्यकता है।

5.5.11 ग्राम शिक्षा रजिस्टर का निर्माण / संधारण

ग्राम शिक्षा रजिस्टर कोई बनी-बनायी पंजी नहीं होगी; बल्कि एक दस्तावेज के रूप में विकसित की जाएगी। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रम में अपनाए जाने वाले विभिन्न तकनीकों के माध्यम से गाँव से जुड़े कुछ चित्र, चार्ट, आँकड़े एवं सूचनाओं का समूह उभर कर सामने आएँगे। इन दस्तावेजों को सुनियोजित ढंग से संचिका में संधारित किया जाएगा। इस तरह संचिका में संधारित सभी मूल दस्तावेज जो आगे जाकर ग्राम शिक्षा योजना निर्माण करने में मदद करेगा, को ग्राम शिक्षा रजिस्टर माना जाएगा। इस रजिस्टर में ग्राम शिक्षा योजना को भी सम्मिलित किया जाना श्रेयस्कर होगा; ताकि बनाए गए दस्तावेज को किसी भी समय देखा जा सके तथा प्रस्तावित क्रियान्वयन के पहलुओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

11.1 उद्देश्य

- प्रेरक / ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच ग्राम शिक्षा रजिस्टर के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी तथा समझ विकसित करना।
- सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के दौरान प्राप्त आँकड़ों एवं सूचनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संधारित करने, अद्यतन करने, तथा दस्तावेजीकरण हेतु अभिप्रेरकों / प्रेरकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच कौशल का विकास करना एवं क्षमता निर्माण करना।
- ग्राम शिक्षा रजिस्टर के माध्यम से दीर्घकालिक ग्राम शिक्षा योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना निर्माण हेतु अभिप्रेरकों / प्रेरकों ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच क्षमता निर्माण करना।

11.2 प्रक्रिया : (ग्राम शिक्षा रजिस्टर का दस्तावेजीकरण)

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के दौरान प्राप्त आँकड़ों एवं सूचनाओं को निम्नलिखित ढंग से संधारित किया जाएगा :—

- नजरी नक्शा,
- गाँव की शैक्षिक तस्वीर,
- सर्वेक्षण का समेकित विवरण,
- गाँव से सम्बन्धित सूचनाएँ एवं इतिहास,
- विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ / विद्यालय सुधार योजना,
- शैक्षिक समस्याओं से जुड़ी सूची,
- योजना निर्माण के क्रम में आयोजित बैठक की कार्यवाही,
- ग्राम शिक्षा योजना,
- प्रेरकों की सूची,
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची।

11.3 ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना

प्रत्येक वर्ष ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन अवश्य कर लेना चाहिए। ताकि 6–11 आयुवर्ग के सभी बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का आकलन किया जा सके। इसके साथ ही साथ विद्यालय की भौतिक स्थिति के संबंध में भी जानकारी अद्यतन होती रहे। इस तरह अद्यतन करने से ग्राम शिक्षा योजना का संशोधन करने एवं समस्याओं के समाधान हेतु रणनीति बनाने में आसानी होगी।

11.4 संधारण एवं अद्यतन — किसके द्वारा ?

ग्राम शिक्षा रजिस्टर का संधारण एवं अद्यतन करने का कार्य / दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का होगा।

11.5 ग्राम शिक्षा रजिस्टर कहाँ रहेगा ?

ग्राम शिक्षा रजिस्टर की एक-एक प्रति ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव के पास रहेगी, लेकिन समिति, समुदाय या अन्य कोई भी उस रजिस्टर को देखने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11.6 सामग्री

संचिका, टैग तथा सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के दौरान तैयार किए गए नजरी नक्शा, घर-घर सर्वेक्षण का समेकित विवरण, शैक्षणिक तस्वीर, विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ, गाँव से जुड़ी शैक्षणिक

समस्याएँ इत्यादि। अन्य सामग्रियाँ

- ग्राम शिक्षा योजना का प्रस्तावित प्रारूप।
- ग्राम शिक्षा योजना निर्माण के क्रम में किए ग्रामीण बैठक की कार्यवाही।
- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की सूची।
- प्रेरकों की सूची।

11.7 सावधानी

- ग्राम शिक्षा रजिस्टर के महत्व के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता।
- ग्रामबद्ध ढंग से सूचनाओं का दस्तावेजीकरण करना आवश्यक है।
- प्रतिवर्ष ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना आवश्यक है।
- अद्यतन बनाने के क्रम में 6–11 आयुवर्ग की वास्तविक शैक्षणिक स्थिति को सावधानीपूर्वक आँकड़ों के माध्यम से उभारने की आवश्यकता होगी।
- ग्राम शिक्षा रजिस्टर के संधारण एवं दस्तावेजीकरण के क्रम में सम्बन्धित विद्यालय के शिक्षकों को अवश्य सहभागी बनाया जाए।

5.5.12 ग्राम शिक्षा योजना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में माइक्रोप्लानिंग का मूल उद्देश्य सम्बन्धित गाँव में समुदाय की सहभागिता से शैक्षिक विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ करना तथा समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालिक उपाय करना। यह तभी संभव हो सकता है जब समुदाय स्वयं समस्याओं की पहचान करे एवं उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से साकारात्मक पहल करे।

उपर्युक्त परिस्थिति को बनाने एवं विकसित करने के लिए ग्राम शिक्षा योजना निर्माण करने की आवश्यकता है। अतः ग्राम शिक्षा योजना, ग्रामीणों का, ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीणों के लिए बनाई गई शैक्षणिक योजना है।

दूसरे अर्थ में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रम में अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाओं (चरणों) को पूरा करने एवं तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात उभरी शैक्षणिक तस्वीर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों और समुदाय के द्वारा शैक्षणिक विकास के लिए बनाई गई साझा योजना की ग्राम शिक्षा योजना कहेंगे। इस तरह ग्राम शिक्षा योजना–

- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की संप्राप्ति का एक दस्तावेज है।
- यह गाँव का, गाँव के सभी बालक/बालिकाओं के समग्र शैक्षिक विकास के लिए शिक्षक तथा समुदाय के द्वारा बनाई गई योजना है।
- योजना का सूत्रण, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समुदाय द्वारा किया जाता है।

- यह स्थानीय संसाधनों पर आधारित योजना है।
- यह पूर्णतः प्रजातांत्रिक एवं विकेन्द्रित योजना है।
- लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, परिणाम मापने योग्य होता है।

12.1 उद्देश्य

- प्राप्त आँकड़ों/सूचनाओं एवं तथ्यों के माध्यम से अभिप्रेरकों/प्रेरकों/ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच समस्या पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण करना।
- ग्रामीणों की सहभागिता से ग्राम शिक्षा योजना निर्माण हेतु अभिप्रेरकों/प्रेरकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच कौशल का विकास करना।
- ग्राम शिक्षा योजना के महत्व के सम्बन्ध में अभिप्रेरकों/प्रेरकों/ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच समझ विकसित करना।

12.2 आवश्यकता

ग्राम शिक्षा योजना की आवश्यकता निम्न बातों से स्वतः ही स्पष्ट है :–

- प्राथमिक शिक्षा के मौजूदा स्थिति से अवगत होने एवं बदलाव हेतु साकारात्मक पहल करने के लिए।
- शत-प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए।
- एक समय सीमा के भीतर गाँव की शैक्षिक समस्याओं को सुनियोजित ढंग से समाधान करने के लिए।
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा गुणवत शिक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए।
- समग्र शैक्षणिक विकास हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के बीच दायित्वों के निर्धारण के लिए।
- शैक्षिक विकास के लिए गाँव/स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए।
- विद्यालयों का सामुदायिक संस्थागत चरित्र नहीं है, विद्यालय एक सामुदायिक संख्या बने, इसे विकसित करने के लिए।
- विद्यालय के भौतिक विकास हेतु समस्त उपाय करने के लिए।
- शिक्षा के प्रति अनवरत रुचि बनाये रखने के लिए ।

12.3 प्रक्रिया : ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण कैसे ?

ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण सामुदायिक सहभागिता से 'साझी समझ की प्रक्रिया' को आधार बनाकर तैयार की जाएगी। इसके दो चरण हो सकते हैं, यथा :

प्रथम चरण : सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रम में किए गए कार्य यथा– नजरी नक्शा, घर-घर सर्वेक्षण, विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ, उत्तरदायित्व चार्ट तथा मौसमी विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर समस्याओं की पहचान कर ली जाए। इसी क्रम में शिक्षकों के द्वारा विद्यालय से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में तैयार विद्यालय सुधार योजना को आधार बनाते हुए इसके बाद ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

द्वितीय चरण : ग्राम शिक्षा योजना निर्माण को अंतिम रूप देने के लिए ग्रामीणों की एक बैठक बुलाई जाए। इस बैठक में यदि गाँव में विद्यालय है तो संबंधित विद्यालय के शिक्षक की भागीदारी भी रहेगी। शिक्षक एवं समुदाय आमने-सामने बैठने के बाद सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों की विद्यालय से संबंधित सूचनाओं से तुलना करें। विद्यालय प्रमुख विषयों/मुद्दों पर विचार हो। इसके पश्चात बैठक में दोनों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं एवं जानकारियों को बैठक में रखा जाए।इस तरह को प्रक्रियाओं को अपनाने से ग्राम शिक्षा योजना योजना काफी संतुलित एवं क्रियान्वयन योग्य बन पाएगी।

बैठक में प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की प्राथमीकिकरण करते हुए उस पर चर्चा कराई जाए। उत्प्रेरक एवं प्रेरक की भूमिका यह होगी कि सभी समस्याओं का समाधान समूह की सहभागिता से साझी समझ के आधार पर हो। साझी समझ तैयार किए जाएँ। अभिमत तैयार करने के निम्न बिन्दु हो सकते हैं :–

- ☐ समस्याएँ क्या हैं?
- ☐ समस्या-समाधान किसके द्वारा होगा?
- ☐ समस्या-समाधान किस के द्वारा होगा?
- ☐ समस्या का समाधान कब तक होगा?
- ☐ समस्या के समाधान के लिए संसाधान क्या होगा?

हो सकता है कि समस्या-समाधान के क्रम में वित्त आधारित समाधान के बिन्दु भी आ सकते हैं, यथा– अतिरिक्त कमरा का निर्माण। ऐसे प्रस्तावों को ग्राम शिक्षा योजना में अलग से दर्ज करें। चूँकि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा **फंड एलोकेशन** की गुंजाइश नहीं के बराबर है; अतः ग्राम शिक्षा योजना में वैसी समस्याओं को प्रमुखता देनी चाहिए जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संसाधनों की मदद से संभव है। यदि हम ग्राम शिक्षा योजना निर्माण के समय इन बातों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी योजना एक माँग-सूची बनकर रह जाएगी।

12.4 ग्राम शिक्षा योजना का प्रारुप

ग्राम शिक्षा योजना प्रारुप के दो भाग होंगे – शैक्षिक तथा भौतिक। दोनों के दो पहलू होंगे – अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक।

12.5 सामग्री

प्राप्त सभी तरह के आँकड़े / सूचनाएँ, विद्यालय सुधार योजना, ग्राम शिक्षा रजिस्टर आदि।

क्रमांक	मुख्य समस्याएँ	समस्या समाधान किसके द्वारा	समस्या समाधान कैसे	समस्या समाधान कब तक	समस्या समाधान के लिए संसाधन
1.	6-11 आयु वर्ग के कुल बालक . . . बालिका . . . कभी स्कूल नहीं गए / अनाशंकित हैं।				
2.	गाँव के कुल बालक . . . बालिका . . . बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं।				

12.6 सावधानियाँ :

- ☐ आँकड़ों का संग्रह सावधानीपूर्वक करें।
- ☐ आँकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण तथ्यपूरक होना चाहिए।
- ☐ आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित समस्याओं की सूची बननी चाहिए।
- ☐ ग्राम शिक्षा रजिस्टर एवं शिक्षक आधारित सूचनाओं का आवश्यक मिलान कर संवर्धित कर लिया जाए।
- ☐ जल्दबाजी में योजना का निर्माण न करें। आवश्यकतानुसार बैठक बुलाकर ही अंतिम रूप दिया जाए।
- ☐ योजना निर्माण में शिक्षक की भागीदारी एवं विद्यालय सुधार योजना पर चर्चा अत्यावश्यक है।
- ☐ अभिप्रेरक किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी ओर से बात न जोड़ें।
- ☐ अभिप्रेरक किसी विशेष बिन्दु जो.समस्या के समाधान के लिए जरूरी है, उसके लिए लोगों को सिर्फ stimulate करें।

5.6 अनुश्रवण की पद्धति

सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के बारे में बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों में जो आम सहमति बनी है, उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम इकाई (लगभग 500 घर) में वातावरण निर्माण से लेकर ग्राम शिक्षा योजना बनने तक की पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। अतः सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के क्रियान्वयन की रणनीति को बिना किसी अनुश्रवण की पद्धति के संचालित करना एक जोखिम-भरा कार्य हो सकता है। इसलिए अभिप्रेरकों एवं प्रेरकों के लिए निर्धारित समस्त दायित्वों एवं कार्यों के समयबद्ध निष्पादन हेतु, बिहार शिक्षा परियोजना कर्मियों द्वारा अनुश्रवण की निम्न पद्धति का पालन किया जा सकता है :—

- सर्वप्रथम, अनुश्रवण की दृष्टि से यह जरुरी होगा कि जिला स्तरीय कार्यालय एक क्षेत्र विशेष खासकर प्रखंड अथवा संकुल को ध्यान में रखकर ही एक साथ लगभग 5 से लेकर 10 ग्राम पंचायतों में अवस्थित सभी गाँवों के लिए सूक्ष्म स्तरीय नियोजन की अपनी योजना तैयार करें।
- चूँकि, एक ग्राम पंचायत/4–5 गाँवों के ग्राम समूह पर 5 सदस्यीय अभिप्रेरक दल सूक्ष्म स्तरीय नियोजन का कार्य प्रेरकों की सहायता से संचालित करेगा। अतएव 5 से 10 पंचायतों के ऊपर जिला स्तरीय अभिप्रेरकों में से ही प्रशिक्षकों के नेतृत्व में क्षेत्रवार ढंग से अनुश्रवण दलों का गठन किया जाएगा। एक अनुश्रवण दल में प्रशिक्षक के अतिरिक्त 4 अभिप्रेरक शामिल होंगे।
- सभी अनुश्रवण दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिए निर्धारित कार्य-क्षेत्र में घूम-घूमकर पंचायत स्तर पर कार्यरत अभिप्रेरकों एवं प्रेरकों का उत्साहवर्द्धन करेंगे, और उनके द्वारा संपादित कार्यों और संकलित आँकड़ों की समीक्षा के आधार पर उन्हें आवश्यक सुझाव एवं मार्गदर्शन भी देंगे।

6. परिशिष्ट

भाग—I

परिवार सूचना संग्रह प्रपत्र

गाँव का नाम / वार्ड नं. : घर संख्या :–

टोला का नाम :

पंचायत का नाम :

प्रखण्ड का नाम :

जिला का नाम :

परिवार के मुखिया का नाम :

उम्र | | जाति | | धर्म | | शैक्षणिक स्तर | | व्यवसाय | |

परिवार के सदस्यों की कुल संख्या (बच्चों सहित) का | | की | | कुल | |

14 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सदस्यों का पूर्ण विवरण

क्रम संख्या	नाम	लिंग	उम्र	शैक्षणिक स्तर	व्यवसाय

परिवार सूचना संग्रह प्रपत्र

0-14 आयु वर्ग के बच्चों का पूर्ण विवरण

क्रम सं.	नाम	माता-पिता का नाम	लिंग	उम्र	शैक्षणिक स्थिति	वर्ग जिसमें पढ़ते हैं / हों	अनामांकित	नामांकित	बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण	विकलांगता

कोड

क. जाति

अनुसूचित जनजाति	– 1
अनुसूचित जाति	– 2
पिछड़ी जाति	– 3
अल्पसंख्यक	– 4
अन्य	– 5

ख. धर्म

हिन्दू	– 1
मुस्लिम	– 2
सिख	– 3
ईसाई	– 4
अन्य	– 5

ग. शैक्षणिक स्तर

अनपढ़	– 1
साक्षर	– 2
प्राथमिक स्तर तक	– 3
मध्य विद्यालय स्तर तक	– 4
हाई स्कूल	– 5
इन्टरमीडियट	– 6
स्नातक	– 7
स्नातकोत्तर	– 8
अनौपचारिक / वैकल्पिक रूप से शिक्षित	– 9
अन्य	– 10

घ. व्यवसाय

दैनिक मजदूरी	– 1
खेती	– 2
पारिवारिक पेशागत कार्य	– 3
निजी व्यवसाय	– 4
वेतन भोगी	– 5
गृहिणी	– 6
अन्य	– 7

ङ अनामांकित एवं बीच में पढ़ाई छोड़ने के कारण

घरेलू कार्य	– 1
पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग	– 2
दैनिक मजदूरी	– 3
छोटे बच्चों की देखभाल	– 4
विद्यालय अच्छा नहीं	– 5
पढ़ने में रूचि नहीं	– 6
विद्यालय उपलब्ध नहीं	– 7
विद्यालय की दूरी	– 8
सामाजिक बाधाएँ	– 9
आर्थिक बाधाएँ	– 10
बाल विवाह	– 11
आकस्मिक दुर्घटना	– 12
अभिभावक की इच्छा नहीं	– 13
पढ़ाई रूचिकर नहीं	– 14
अन्य	– 15

च. शैक्षणिक स्थिति

अभी विद्यालय में	– 1
अभी विद्यालय में नहीं जाते	– 2
कभी विद्यालय नहीं गए	– 3
अनौपचारिक/वैकल्पिक शिक्षा	– 4
अन्य	– 5

छ. विकलांगता के प्रकार

मानसिक रूप से	– 1
पैर से	– 2
हाथ से	– 3
आँख से	– 4
कान से	– 5
बोलने से	– 6
अन्य	– 7

दिनांक :

विद्यालय से संबंधित सूचना प्रपत्र
(विद्यालय सुधार योजना का आधार-पत्र)

गाँव का नाम : प्रखण्ड : जिला :

1. विद्यालय का नाम

2. स्थापना-वर्ष

3. विद्यालय का विवरण
   - अपना भवन है ☐
   - किराया पर चलता है। ☐
   - भवनहीन है। ☐

4. कमरों की संख्या ☐

5. भवन मरम्मति की आवश्यकता (हाँ/नहीं)

6. शिक्षकों की संख्या

   पुरुष ☐ महिला ☐ कुल ☐

7. अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

   पुरुष ☐ महिला ☐ कुल ☐

8. **विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ**	**हाँ**	**नहीं**
1. प्रत्येक वर्ग में श्यामपट		
2. चॉक		
3. बच्चों के बैठने की सामग्री		
4. शिक्षक के बैठने की सामग्री		
5. टेबुल		
6. आलमारी		
7. सामग्री रखने का ट्रंक		
8. पेयजल सुविधा		
9. खेल का मैदान		
10. बालिकाओं के लिए शौचालय		
11. विद्युतिकरण सुविधा		

वर्त्तमान वर्ष में नामांकन की स्थिति

कक्षा	बालक	बालिका	योग
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

विद्यालय से संबंधित समस्याएँ (शिक्षक के अनुसार)

1.

2.

3.

4.

5.

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No D-9893
Date 27-7-98

NIEPA DC
D09893

ग्राम शिक्षा रजिस्टर

गाँव का नाम :

पंचायत का नाम :

वार्ड न.

प्रखण्ड

जिला का नाम :

आयु वर्ग के बच्चों की स्थिति

घर संख्या	परिवार के मुखिया का नाम	6-11 आयु वर्ग के बच्चों को संख्या	अभी विद्यालय में	अभी नहीं जाते	कभी नहीं जाते	अनौ/वैकल्पिक	अन्य	अभ्युक्ति
		का की कुल	का की कुल	का की कुल	का की कुल	का की कुल	का की कुल	

परियोजना अपनी रणनीति जिन सिद्धान्तों के आधार पर तैयार करता है, वे है :

★ **शिक्षा बदलाव का मध्यम :** बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा को सामाजिक बदलाव तथा विषमताओं को दूर करने का माध्यम मानती है।

★ **सबों का साथ :** बिहार शिक्षा परियोजना वैसे सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है जो इसे सफल बनाने में मदद कर सकें।

★ **सबसे पहले शिक्षक :** शिक्षक, बिहार शिक्षा परियोजना की धुरी हैं। शिक्षकों के प्रति सम्मान तथा उनमें विश्वास, बिहार शिक्षा परियोजना अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए आवश्यक मानती है। कोशिश यह रहती है कि ऐसी स्थितियाँ पैदा की जाएँ कि शिक्षकों में कुशलता से अपना कार्य करने की क्षमता विकसित हो।

★ **महिलाओं के प्रति समानता तथा उनका सशक्तीकरण :** महिलाओं को सशक्त करने का तात्पर्य है, ऐसे अवसर तथा स्थितियाँ पैदा करना कि औरतों को अपनी समस्याओं पर विचार करने का मौका मिले। वे अपनी दुःखद परिस्थिति पर रोष व्यक्त कर सके, तथा शिक्षा को अपनी समस्याओं के निदान के लिए सशक्त माध्यम बनाएँ।

★ **सामाजिक न्याय :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, भूमिहीन कृषि-मजदूर आदि समाज के वंचित वर्ग, न्याय के हकदार हैं। बिहार शिक्षा परियोजना अपने कार्यक्रमों में साम्यवाद तथा सामाजिक न्याय का रवैया पैदा करना चाहती है।

★ **प्रबंधन नहीं मिशन :** बिहार शिक्षा परियोजना अपेक्षा रखती है कि इससे जुड़े लोग पारंपरिक नौकरशाही परम्परा से हटकर मिशन-भावना से काम करें।

मिशन-भावना के मायने बि.शि.प. कर्मी के लिए है :

- ईमानधारी
- लक्ष्यों में अटूट आस्था
- कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण
- कार्य-दक्षता एवं कार्य-कुशलता
- समय-बद्धता
- भाईचारा
- उतरदायित्व का बोध
- आत्म-परीक्षण एवं आत्मलोचन
- आत्म-संयम
- सादगी
- कथनी.-करनी. में भेद नहीं (सूची में कुछ और भी जोड़ा जा सकता है)

आइए, विचारें :-

क्या हमारे आचरण से मिशन-भावना झलकती है ?